



क्रमांक: 3471 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 02 / 05 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 11 मई, 2015 को अपरान्ह

03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 5 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 1-28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करना।
(पृ.क्र. 06 से 07 तक)
टीप : पत्र की छायाप्रति संलग्न।
04. अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।
(पृ.क्र. 8 से 11 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 12 से 14 तक)
06. मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 15 से 16 तक)
07. विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित किये जाने के संबंध में विचार करना।
टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण कुछ खिलाड़ी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा तिथि एवं खेल प्रतियोगिता एक तिथि में आ जाता है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र.

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

79/638/आउशि./अका.प्र./09 भोपाल, दिनांक 27.01.2009 में विशेष परीक्षा का आयोजन की सुविधा दी जा रही है। पत्र की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 16)

सत्र 2014-15 में निम्नांकित 03 खिलाड़ी अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित हो गये -

क्र.	खिलाड़ी का नाम	परीक्षा के विषय
1.	रंजीत कुमार पटेल - बी.ए. प्रथम वर्ष हाफ मैराथन में आल इंडिया में स्वर्ण पदक क्रासकंट्री में विश्व संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता टर्की हेतु चयनित	राजनीति शास्त्र प्रथम, द्वितीय, इतिहास प्रथम, द्वितीय
2.	दिनेश कुमार साहू - बी.ए. प्रथम वर्ष केनोइंग एवं कायोकिंग अखिल भारतीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक	हिन्दी एवं अंग्रेजी
3.	गणेश कुमार साहू - बी.ए. प्रथम केनोइंग एवं कायोकिंग अखिल भारतीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक	हिन्दी एवं अंग्रेजी

प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

08. श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 17 से 21 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 22 से 30 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
10. वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 31 से -- तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
11. अकादमिक स्टाफ कालेज की एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 32 से 33 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
12. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :-
प्राचार्य -
1. कोलंबिया कालेज प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांढर, जिला-रायपुर
2. बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला-दुर्ग
3. समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो. -बीजभाटा, जिला-बेमेतरा


4. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवभोग रोड, गरियाबंद
5. जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका-कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग
6. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
7. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो. -माना कैम्प, रायपुर
8. कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, रायपुर
9. श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम परिसर, राजनांदगांव
10. कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं.-2661/24, देवरी, भाटापारा
11. आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-483/1, पं.र.शु.विश्वविद्यालय जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडेमी, रायपुर
12. सांदिपनी एकेडेमी, अछोटी, प्लाट नं. -44, तह.-धमधा, मुरमुंदा, जिला-दुर्ग
13. शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांढर, जिला-रायपुर

विभागाध्यक्ष शिक्षा -

1. दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्यविहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 3472 / अका./ का.प./ 2015

रायपुर, दिनांक : 02/05/2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक 26/3/2015

3166

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नवीं * बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 को पूर्वान्ह 12:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5. डॉ. एस. सी. नैथानी	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	-	सदस्य
9. डॉ. एम. आई. मेमन	-	सदस्य
10. डॉ. पी. सी. अग्रवाल	-	सदस्य
11. डॉ. आर. बाला. सुब्रामनियम	-	सदस्य
12. डॉ. एस. के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
13. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
14. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

—: कार्यवृत्त :-

विषय क्रमांक—1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक—2 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक—3 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार संशोधन शामिल करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक-2: शोध प्रबंध के परीक्षण में Plagiarism परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकार योग्य सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।

विषय क्रमांक-4 वित्तीय सत्र 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : वित्तीय सत्र 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-5 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-6 परीक्षा सत्र 2014-15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : परीक्षा सत्र 2014-15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति में कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य के रूप में डॉ. भगवंत सिंह एवं संकाय के संकायाध्यक्ष के अंतर्गत डॉ. रोहिणी प्रसाद के नाम का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद् की ओर से एक सदस्य नियुक्त करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक-7 पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/- के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/- के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-8 भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectrofluorimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US \$ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectrofluorimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US \$ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-9 विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-74/2014/38-2 दिनांक 09.01.2015 पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-74/2014/38-2 दिनांक 09.01.2015 के निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाये। समस्त सदस्यों का अभिमत है कि शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय में भेदभाव किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता अतः कार्य परिषद् के सदस्यों की भावना की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करते हुए प्रकरण पुनः समन्वय समिति में रखने हेतु अनुरोध किया जाए।

विषय क्रमांक-10 दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

-:पूरक विषय सूची :-

विषय क्रमांक-1 शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा Directorate of Physical Education के Equipment/Computer/Other Machine मद से बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/- के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/- के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-2 Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-3 दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ रूपए 11,000/- मानदेय प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक-4 Public Outreach Lecture हेतु प्रस्तावित मानदेय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : Public Outreach Lecture के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों/विद्वानों/प्राध्यापकों के व्याख्यान में उपस्थित प्रमुख वक्ता/अतिथि को रूपए 2500/- मानदेय प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक-5 एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-6 रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. संजीत कुमार साहू के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-7 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. हरे कृष्णा के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-8 उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. (श्रीमती) प्रावती दास के नाम का अनुमोदन किया गया।

:- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :-


1. विश्वविद्यालय द्वारा शोध पत्रिका का नियमित प्रकाशन हो तथा आवश्यकतानुसार त्रैमासिक/मासिक प्रकाशन की व्यवस्था हो।
2. विभागीय शोध समिति की बैठक में बाह्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर शामिल किया जावे।
3. नैक के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों के भौति शासकीय महाविद्यालयों का भी निरीक्षण कराया जावे तथा निरीक्षण के पश्चात् जानकारी, उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन भेजी जावे।
4. संबद्धता आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति हेतु निर्धारित तिथि के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा पालन प्रतिवेदन आवश्यक है।
5. माननीय कार्य परिषद् सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण पर अपील के संबंध में, बिंदुवार जानकारी के साथ पत्र प्रस्तुत किया। निर्णय लिया गया कि प्रकरण अपील पर तथ्यात्मक जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

डॉ. मिताश्री मित्रा, डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल एवं डॉ. एम. आई. मेमन का कार्य परिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, माननीय सदस्यों ने विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के पद पर संबंधित विभाग/महाविद्यालयों के कार्यों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय कार्यपरिषद् में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया। जिसके लिए कार्यपरिषद् सदस्यों के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष




कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 3167/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक 26/3/2015

प्रतिलिपि :-1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
3. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उपकुलसचिव (अका.)

6

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 1-28/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़,
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय :- निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि बाबत।
संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक 977/116/2010/सक/26, दिनांक
16.09.2010।


—00—

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दृष्टिहीन एवं शारीरिक रूप से निःशक्त शासकीय सेवकों एवं पंचायतों के अधीनस्थ कार्यरत निःशक्त शिक्षाकर्मियों को दिनांक 01.09.2010 से (माह सितम्बर, 2010 का वेतन माह अक्टूबर, 2010 में देय) को उनके मूल वेतन छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण 2009 का 5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 300/- रुपये तथा अधिकतम 500/- रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ते की (नियम एवं शर्तों के अनुसार) स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2/ राज्य शासन एतद्वारा निःशक्त कर्मचारियों के वर्तमान वाहन भत्ते की दरों में दिनांक 01.01.2015 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2014-26-0014, दिनांक 05.02.2015 द्वारा प्रदाय है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी.डी. दोहर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

// 2 //

पृ. क्रमांक एफ 1-28/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015
प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2014-26-0014, दिनांक 05.02.2015 के संदर्भ में,
 3. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 4. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 5. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्ती), छत्तीसगढ़,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

ok

8

// कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //

विषय :- अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगिकृत किये जाने हेतु।

—00—

छत्तीसगढ़ शासन के ज्ञापन क्रमांक 304/सी-30974/वित्त /नियम/चार/2010 दिनांक 30.09.2010 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2009 में शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह का मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के बराबर अनुदान, रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार) अधिकतम की सीमा के अधीन स्वीकृत किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 के द्वारा उक्त को संशोधन करते हुए शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रुपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत ।

- संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 25/45/99/ई.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 10.9.99
2. ज्ञापन क्रमांक 304/सी-30974/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30.9.2010

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के बराबर अनुग्रह अनुदान, रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार) अधिकतम की सीमा के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।


2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए ।

10

- 3/ दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को अनुदान की पात्रता संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 6 में उल्लेखित क्रम में होती है। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कंडिका 6 के अनुरूप परिवार के किसी सदस्य के न होने पर कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी अन्य सदस्य को भुगतान किया जाएगा।
- 4/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
- 5/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



24/03/2015

(एस. के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 73/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सूचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
 12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये -

1	प्रो० एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुलसचिव
3	प्रो० बी०के० शर्मा	सदस्य
4	प्रो० रीता वेणुगोपाल	सदस्य
5	डॉ० सी०एस चौबे	सदस्य
6	डॉ० शशीकांता भारद्वाज	सदस्य
7	डॉ० देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
8	श्री राजेश दवे	सदस्य
9	श्री संजय शर्मा	सदस्य
10	श्री नरेशधर दीवान	सदस्य
11	डॉ० सुमीत तिवारी	सदस्य
12	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
13	डॉ० विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये :-

विषय क्र. 1- विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय - विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2- क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय - क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

विषय क्र. 3- अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में ताईक्वांडो म०/पु० खेल को शामिल करने पर विचार करना ।

निर्णय - सत्र 2015.16 में अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में ताईक्वांडो म0/पु0 खेल को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । टीम प्रशिक्षण की व्यवस्था महाविद्यालयीन स्तर पर क्रीडा अधिकारी/कोच द्वारा किया जावे ।

विषय क. 4- सत्र 2015-16 में शारीरिक शिक्षा शुल्क के निर्धारण के संबंध में चर्चा कर उचित कदम उठाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय - पं0 रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा शुल्क वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर संचालक, शारीरिक शिक्षा द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया -

- 1 34 खेलों के अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले सबसिडी राशि को दुगनी करने के कारण व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 2 खिलाड़ियों को प्रदान किये जाने वाले डी.ए. की राशि 150/- से बढ़ाकर 250/- रु. तथा कोच , मैनेजर को 200/- से बढ़ाकर 300/- रु. महंगाई को ध्यान में रखते हुये की गयी तथा कोच एवं मैनेजर को विशेष भत्ता रु. 2000/- प्रदान करने से व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 3 खिलाड़ियों को कोचिंग केम्प से लेकर संबंधित खेल टीम के वापस आने तक व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 4 34 खेलों में 45 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ी को पूर्वोक्त अंतर विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेती है ।
- 5 पूर्व क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में विजेता दल के प्रत्येक खिलाड़ी/कोच/मैनेजर को रु.15000/- प्रदान किया जाता है एवं उपविजेता दल के प्रत्येक सदस्यों को रु.12000/-प्रदान किया जाता है ।

अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक खिलाड़ियों कोय एवं मैनेजर को क्रमशः Rs.15000/-, Rs.12000/-, Rs.8000/- (तृतीय एवं चतुर्थ) प्रदान किया जाता है ।

पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार उल्लेखित बिन्दुओं एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यों में Rs. 92.00 Lacs (Ninety two Lacs) हुये है प्रत्येक वर्ष नियमित छात्रों से प्राप्त होने वाली शुल्क (Rs. 78.00 Lacs (Seventy Lacs) है । इसी प्रकार सत्र 2014-15 से नये विश्वविद्यालय प्रस्तावित है जिसके कारण आय कम होगा जबकि खेल विद्याओं में कमी नहीं किया जा सकता । अतः महाविद्यालयों के द्वारा नियमित छात्रों से शारीरिक शिक्षा शुल्क Rs. 100/- जावे ।

विषय क. 5 स्नातक स्तर के अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सदस्य खिलाड़ी सदस्य परीक्षा तिथि एवं प्रतियोगिता तिथि एक होने पर यदि प्रतियोगिता को प्राथमिकता देते हैं साथ ही जो टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे खिलाड़ियों को उसी विषय में अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान संबंध में विचार करना ।

निर्णय उक्त संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।

विषय क. 6 – शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा यू.जी.सी. से प्राप्त स्पोर्ट्स हास्टल के लिये रुपये Rs. 75.00 Lacs (Seventy Five Lacs) स्वीकृत राशि का समिति को सूचनार्थ ।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1 एक की छात्र/छात्राओं द्वारा अंतर विश्वविद्यालयीन/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की स्थिति में एक ट्रेकसूट दिया जाय ।

2 अंतर विश्वविद्यालयीन/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में लगातार दो वर्ष खेल विधाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को एक ब्लेजर दिया जाय ।



प्रो. एस. के. पाण्डेय
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,



डॉ. विपिनचंद्र शर्मा
संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषय : मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

मूल विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2015-16 से Physics, Chemistry, Life Science, Mathematics में कक्षाएँ प्रारंभ किया जाना है। Centre for Basic Sciences के प्रयोगशाला हेतु 40 नग कम्प्यूटर का क्रय किया जाना है।

DGS&D द्वारा Item code 34 Configuration Intel Core i5 Operating System Microsoft Windows 8, Chipset Q8 Series रु. 45766=00 सेल्स टेक्स पृथक से देय होगा प्रति नग निर्धारित किया गया है। उक्त HP Desktop Computer का Final Price Rs. 48054.3 टेक्स सहित निर्धारित किया गया है।

विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा एच.पी. कम्प्यूटर गुडगाँव के अधिकृत डिलर में. एसेंट टेक्नालाजी साल्युशन, रायपुर से CBS के लिये 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिस पर रु. 19,22,172=00 व्यय होगा।

अतः CBS के लिये DPC/CPC द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ में 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(16)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०,
सतपुरा मवन, भोपाल

क्रमांक 79 / 638 / आउशि / अका०प्र० / 09,
प्रति.

भोपाल, दिनांक- 27/1/09

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य,
समस्त स्वशासी/उत्कृष्ट महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- एनसीसी/एनएसएस/स्पोर्ट्स आदि विद्याओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 'विशेष परीक्षा' का आयोजन।

—000—

एनसीसी/एनएसएस/स्पोर्ट्स आदि विद्याओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन प्रायः नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी माह में ही सम्पन्न होते हैं। इसके आयोजन में भाग लेने के लिए चयनित होना गौरवमय है एवं विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक वार्षिक परीक्षा पद्धति होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी क्योंकि मुख्य परीक्षाएँ मार्च-अप्रैल में आयोजित होती हैं।

प्रदेश में सत्र 2008-09 से लागू सेमेस्टर की एक मुख्य परीक्षा सामान्य रूप से नवम्बर के अंत या दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अतः उक्त विद्याओं में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन जून अंत/जुलाई प्रथम सप्ताह में आयोजित ए टी के टी परीक्षाओं के साथ सम्पन्न की जावे। ऐसे विद्यार्थी द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर में नियमित अध्ययन/परीक्षा देने के पश्चात् ए टी के टी के समय इनके लिए आयोजित "विशेष परीक्षा" में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही विभिन्न विद्याओं में महाविद्यालय, जिले अक्षरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की अवधि को उपस्थिति में गणना की जाय।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-27/1/09

पु०क्रमांक 80 / 638 / आउशि / अका०प्र० / 09,
प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित करें तथा जानकारी प्राप्त कर ऐसे विद्यार्थियों के नाम एवं विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



विषय : श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध
में विचार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.74-1/2013(SU-II) March, 2015 द्वारा श्री नंद कुमार चक्रधारी असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का शिक्षक फ़ैलोशिप के लिए चयन किया गया है। छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार श्री चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर को अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन महंगाई भत्ते के अलावा अन्य प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययनअवकाश पर प्रस्थान के पूर्व (प्रपत्र-5) अनुबंध निष्पादित कराया जाना होगा।

अतः श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उपरोक्त उल्लेखित फ़ैलोशिप के लिए छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 16.06.2015 से 15.01.2016 तक 07 माह अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

To,

The Vice-Chancellor
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.) - 492010

Regish
05/04/15

1141
06.04.15

18

Through : The Head, SoS in Physics & Astrophysics, Pt. R. S. University, Raipur.

Ref : Science Academies' Summer Research Fellowship,
UGC Teacher Fellowship under Faculty Development Programme.

Dr. N. S.
E

Dr. N. S.
10/4/15

Subject : Application requesting to grant Study Leave.

Respected Sir,

You will be happy to know that Indian Academy of Sciences has selected me for the award of Summer Research Fellowship for a period of **two months** to work at Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bangalore under the supervision of Prof. G.C. Anupama.

I have also been selected for the UGC Teacher Fellowship award under Faculty Development Programme for a period of **six months** by University Grant Commission, New Delhi. This fellowship has been awarded to complete my thesis entitled "Observational Study of Type Ia SNe" under the supervision of Prof. D.K. Sahu, IIA, Bangalore and co-supervision of Prof. S.K. Pandey Vice-Chancellor, Pt. R.S. University, Raipur.

There is also provision of a substitute teacher by UGC who will work in place of me during my Teacher Fellowship period (16th July 2015 to 15th January 2016).

The thesis work involves data analysis, paper work and writing which need to be discussed and critically checked by my supervisor. Hence, I need to visit Indian Institute of Astrophysics, Bangalore to complete my thesis work.

Therefore, I request you to kindly allow me to visit IIA, Bangalore to work under Summer Research Fellowship and UGC Teacher Fellowship granting me study leave of seven months from 16th June 2015 to 15th January 2016 along with the necessary HQ leaving permission.

Thanking you

Date:- 04th April 2015

With kind regards

Sincerely yours

N. S. Chakradhari

Nand Kumar Chakradhari

Encl. : Summer Fellowship Award
UGC Teacher Fellowship Award

Asst. Prof., SoS in Physics & Astrophysics
Pt. R.S. University, Raipur, C.G.

2.190
9.6.15

2571
1452
614115

Forwarded

Rub...
Professor & Head,
P.S. in Physics & Astrophysics,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR, (C.G.) 492010

VC 2571
21/4/15

SCIENCE ACADEMIES' SUMMER RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME

19

Professor K.L. Sebastian
Chairman, Science Education Panel
Indian Academy of Sciences

Date: 27 March 2015

Dr Nand Kumar Chakradhari
Assistant Professor, Physics Dept
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur 492 010

Dear Dr Chakradhari,

This has reference to your application **PHYT68** for an IASc-INSa-NASi Summer Research Fellowship in 2015. We are happy to offer you a Fellowship to work for two months during this summer. You will be working with Professor G.C. Anupama, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore (e-mail: gca@iiap.res.in).

We have tried as far as practicable to assign you to a guide in the area mentioned by you. **Where that has not been possible, you will work with the assigned guide in a related area that will be determined by the guide, and trust that the experience will be fruitful to you. No changes can be made in this regard.**

This Fellowship is subject to the following norms:

- The duration of the Fellowship is **eight weeks (56 days – including Sundays and General Holidays), and is not to be reduced.**
- You will be provided a III-tier A/c train fare from Raipur to IIA, Bangalore and back.
- If you are NOT an INSPIRE/KVPY Fellowship holder, you will be paid a Fellowship of Rs. 12000/- per month towards your boarding, lodging and local transport expenses. Those who are in receipt of INSPIRE/KVPY Fellowship will be covered by a separate arrangement, the details of which will be communicated later.
- Regarding accommodation, Professor Anupama has indicated that she would be unable to arrange your accommodation in Bangalore. We hope you would be able to make your own arrangements.

Please also go through carefully & comply with all the Instructions given in the attached sheet.

You are advised to get in touch with Professor Anupama immediately to work out the exact period of your visit. In the meantime please communicate with Mr C.S. Ravi Kumar, Assistant Executive Secretary of IASc, your acceptance of this Fellowship. We would need a joining report from you upon your arrival, and a brief report of your work at the end of four weeks so that your Fellowship for the first month can be paid. After the receipt of the final report, we shall release the remaining amount due to you along with your travel fare.

We urge you to convey your acceptance of this fellowship within 7 days by both online (the userid and password given at the bottom of the email) as well as by **returning the Form of Acceptance posted to you.** Even if you are not able to accept the fellowship, this should be communicated to the Academy immediately (both by email and in the Form of Acceptance) so that the fellowship can be awarded to another candidate in the waiting list.


With best wishes,

Yours sincerely,

K.L. Sebastian
K.L. Sebastian



Indian Academy
of Sciences
Bangalore



Indian National
Science Academy
New Delhi



The National Academy
of Sciences, India
Allahabad

Contact Address :

Indian Academy
of Sciences
P.B. No. 8005
C. V. Raman Avenue
(near Mekhri Circle)
Sadashivanagar P.O.
Bangalore 560 080

Telephone :

91-80-2266 1207
91-80-2266 1202
90-80-2266 1221

Fax : 91-80-2361 6094

Email :

joinsrf@ias.ernet.in

Website : www.ias.ac.in



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

March, 2015

No.F.74-1/2013(SU-II)

20
18 MAR 2015

The Registrar,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur - 492 010(Chhattisgarh).

Subject: **Award of Teacher Fellowship to Sh. Nand Kumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur under Faculty Development Programme during XII Plan Period.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 1730/Grants Cell/2014 dated 19.11.2014 and letter No. nil dated 22.01.2015 received from Sh. Nand Kumar Chakradhari on the subject cited above and to convey the approval of the U.G.C. for award of Teacher Fellowship to **Sh. Nand Kumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur** for completing Ph.D at Dept. of School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur under Faculty Development Programme for the period of **six months** from the date of his joining as teacher fellow.

Terms and conditions of the scheme are as below based on the guidelines of Faculty Development Programme during XII Plan :

- (1) The teacher will continue to receive full salary from the parent University during the period of teacher fellowship.
- (2) A teacher fellow will be eligible for reimbursement of actual contingency expenditure subject to a maximum of Rs.15,000/- per year. The accounts for contingency grant and audited Utilization Certificate may be submitted to UGC.
- (3) The salary of the substitute teacher, appointed by the university in place of a teacher selected for award of Teacher Fellowship, will be reimbursed by the UGC. The university will make a fresh appointment of a substitute teacher in accordance with the prescribed procedure of UGC, on the minimum pay scale prescribed for a Lecturer. If the substitute teacher is appointed on a pay scale higher than the minimum pay scale of a Lecturer, the grant towards reimbursement of the salary of the substitute teacher will be restricted by the UGC to the minimum scale and the balance amount will be met by the respective university or by the respective state Government. If the post vacated by the Teacher fellow is filled by transfer or deputation, such a substitute's salary will not be reimbursed. The substitute teacher must be appointed on a full time basis.
The Commission will not pay the salary of the substitute teacher if appointed on a part time basis, unless there are substantial reasons for same. The substitute teacher will not be entitled to yearly increments. The substitute teacher would also be entitled for salary for the extended period of the Teacher Fellow.

p.t.o.

- (4) Grants towards Contingency for the Teacher Fellowship for the first year will be paid to the research Centre/place of research of the Teacher Fellow on receipt of the Joining Report duly signed by Registrar/Research Guide of the University. The 2nd year's Contingency grant will be paid on receipt of accounts of contingency grant and Utilization Certificate for the 1st instalment of grant duly signed by the Registrar/Research Guide of the University and item-wise statement of expenditure for the 2nd year.
- (5) Grant towards salary of the substitute teacher (If appointed) will be paid to the University where the Teacher Fellow was working (parent institution) immediately before joining Teacher Fellowship on receipt of the month-wise details of salary statement.
- (6) The supervisor/guide of the Teacher Fellow must give a 'progress report' in the mid-month of the period for which the fellowship is awarded. In case of a negative report given by the Supervisor/Guide, the fellowship to the Teacher Fellow may be withdrawn by the UGC.
- (7) A Teacher Fellow may be permitted to do M.Phil. in the University in which he/she is employed provided that the University is running the M.Phil. courses in the concerned subject. Also, a teacher fellow will be permitted to do research work leading to the Ph. D. in the University where he/she is employed, provided that the University of has post-graduate teaching in the subject concerned with adequate facilities for Conduction research.
- (8) If a Teacher Fellow fails to complete his/her Ph.D./M.Phil. programme and leaves it midway, he/she has to refund the entire amount paid to him/her by the UGC during his/her Teacher Fellowship (Contingency grant + salary paid to the substitute teacher during the tenure of fellowship).
- (9) The University is also requested to make appointment of substitute teacher immediately so that the related courses can run regularly
- (10) This is to inform you that the expenditure incurred towards FDP will be met from the XII Plan allocation under the said scheme..
- (11) The University is also requested to send the joining report of **Sh. NandKumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur**


Yours faithfully,



(Ritu Oberoi)
Under Secretary

Copy to:-

- 1 ✓ Sh. Nand Kumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur-492 010.
- 2. Head, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur-492 010.



(Nirmal Kaur)
Section Officer



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

22

क्र. 3360 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 22 / 04 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16.04.2015 अपराह्न 4.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुन्द	सीट वृद्धि B.Sc. Computer Sc. (पूर्व सीट संख्या - 15)	05 सीट वृद्धि	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 12.02.2015 पत्र क्र. 1999/अका./2014 दिनांक 26.11.2014 के अनुक्रम में महाविद्यालय की सीट वृद्धि के लिये सम्बद्धता निरीक्षण दिनांक 12.02.2015 को किया गया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वर्तमान में स्ववित्तीय योजना के तहत दो कम्प्यूटर शिक्षक अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं। एक और कम्प्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 26 कम्प्यूटर हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए 10 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1971-72 शासन का आदेश पृ. क्र. 3-79/2014/38-1 दिनांक 13.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 31.10.2014					

23

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>4. लाइसेन्सड साफ्टवेयर के अंतर्गत Windows XP, Vista तथा MS Office के Single User licence है। Multiple User licence की आवश्यकता है।</p> <p>5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप 426 पुस्तकें उपलब्ध है। पाठ्यक्रम के अनुरूप और 10000 रुपये की पुस्तकों की क्रय किया जाना चाहिये।</p>	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला-गरियाबंद	<p>B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History</p> <p>B.Com.-II (Compulsory Subject)</p> <p>B.Sc. -II F.C., Chemistry, Maths, Physics</p>	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 22.02.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2400/अका./2015 दिनांक 09.01.2015 के पारिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर में सत्र 2014-15 के लिए B.A. -II (60 seat) हिन्दी, अंग्रेजी (FC) समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, B.Com. -II (60 seat) सभी अनिवार्य विषय B.Sc. -II (60 seat) FC रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.02.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार तथ्य पाये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। महाविद्यालय शास. उ.मा.वि. के 10 कमरों में संचालित है, जिसमें 08 कमरों में अध्यापन एवं 01 कमरा में Lab तथा 01 कमरा में प्राचार्य व कार्यालय है। 3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 05 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत है। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 05 गैर शैक्षिक में 03 पद में कार्यरत हैं। 4. प्राचार्य के संलग्न पत्र द्वारा ग्रंथागार में सभी विषयों के 692 पुस्तकें हैं। सभी कक्षा एवं विषय के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2013-14 शासन का आदेश पृ. क्र. 92/आउशि/योजना/2013 दिनांक 20.05.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 06.12.2014						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>5. विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए Lab तथा उपकरण है इसे छात्र एवं कक्षा के अनुपात में मंगाये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>6. अधोसंरचना में स्कूल का फर्नीचर उपलब्ध है। महाविद्यालय में 02 Computer तथा 01 फोटोकापी मशीन है।</p>	

03. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय : परिनियम 28 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जावे।

04. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015-16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015-16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट में प्रवेश देने के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय शासन की अनुमति के साथ आवेदन करें।

05. एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को अंगीकृत किये जाने के कारण बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के रेगुलेशन के आधार पर द्विवर्षीय बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. (सेमेस्टर पद्धति) पाठ्यक्रम के लिए निर्मित संशोधित अध्यादेश स्वीकृति हेतु समन्वय समिति भेजने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06. विधि अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विधि अध्यादेश में संशोधन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

07. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक 88 के संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 88 में प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन का अनुमोदन किया गया।

08. श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2015-16 से बी.एड् एक यूनिट-50 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

09. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 पर विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

10. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management सत्र 2015-16 से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

11. सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में संचालित बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

12. एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई में बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की संचालन बंद करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

13. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर को शासन द्वारा 2011-12 से 2014-15 के मध्य स्वीकृत की गई सीट वृद्धि पर विचार करना।

निर्णय : आगामी एक वर्ष के भीतर भौतिक शास्त्र विषय में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आधार पर शासन द्वारा पूर्व में 2011-12 से 2014-15 के मध्य स्वीकृत निम्नानुसार सीट वृद्धि के लिए अनुशंसा की जाती है -

कक्षा	पूर्व में अनुमोदित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट
बी.काम. अनिवार्य विषय	60	60	120
बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन	60	30	90
पी.जी.डी.सी.ए.	60	30	90

14. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के आदेशानुसार किसी भी शिक्षा महाविद्यालय/संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम नया विषय/सीट वृद्धि/पाठ्यक्रम बंद करने के लिये विश्वविद्यालय के निरीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाएगी, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के निरीक्षण हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय को प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

15. (A) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता/2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार 31 जनवरी 2013 तक सभी एम.एड. महाविद्यालय को NAAC प्रत्यायन की अनिवार्यता की जानकारी।
(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी हेतु।

निर्णय : प्रस्तुत सूची में (A) एवं (B) के अंतर्गत वर्गीकृत महाविद्यालयों में वर्तमान व्यवस्था एवं एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड पूरा करने के संबंध में एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी. एवं महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

16. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने मापदण्ड विषयक।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के बिंदु क्र. 5 पर "अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची, जिसे इस विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध पत्र की सूची में शामिल किया जाना हो," सूची अध्यक्ष अध्ययन मण्डल से प्राप्त कर संकायाध्यक्ष को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जावे। संकायाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित सूची के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

17. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला-दुर्ग
2	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
5	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (2013-14 एवं 2014-15)
6	श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-धनेली, पो.-माना, रायपुर
7	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला-रायपुर (2013-14 एवं 2014-15)

निर्णय : पुनः परीक्षण किया जावे।


(27)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय:-

अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के पूर्व जमा की गई शोध प्रबंध के संदर्भ में DRC से अनुशंसित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकाशित शोध-पत्र को मान्य करते हुए शोध-प्रबंध के मूल्यांकन की कार्यवाही की जाए।

पुराना अध्यादेश 45 पर यह लागू नहीं रहेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3361 / अका./ वि.प.स्थायी. समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 22/04/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

M. Ed

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों को सूचना दी गई थी:-

1. प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य,
घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय,
आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. प्राचार्य,
अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने,
अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
4. प्राचार्य,
प्रगति कॉलेज, सेन्द्रल एवेन्यू,
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
5. प्राचार्य,
शास. शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. प्राचार्य,
पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. प्राचार्य,
रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी,
जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)
8. प्राचार्य,
शिवा कॉलेज,
मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के विनियम 8(5) के अनुसार-शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थाओं को 01 अप्रैल 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थाओं को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012-13 से समाप्त समझ ली जाएगी।"

इसके पश्चात् NCTE की वार्षिक कार्यसमिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2012 में जिन संस्थाओं ने NAAC में प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लिया है उन संस्थाओं की

एम.एड. की मान्यता अभी समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। अर्थात् यदि आपकी संस्था को NAAC से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है या इसके हेतु आवेदन नहीं किया है तो NCTE आप के संस्था में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान NCTE द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बनाये गए है।

अतः यदि आपकी संस्था के द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है तो NAAC बैंगलूरु प्रत्यायन के लिए 31 जनवरी 2013 के पहले आवेदन कर इसकी जानकारी परिषद् को देंगे।

तत्सम्बन्ध में विदित हो कि— पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में NAAC प्रत्यायन की जानकारी निम्नलिखित है:—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	CGPA	ग्रेड	रिमार्क
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	2.62	B	
2.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम-जुनवानी, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.59	B	
3.	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-07, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.87	B	
4.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.7	B	
5.	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्ट, भिलाई, जि-दुर्ग (छ.ग.)	2.79	B	
6.	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगाँव नाका बाई पास रोड दुर्ग (छ.ग.)	1.85	C	
7.	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.15	B	
8.	शिवा कॉलेज, मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.33	B	
9.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2.45	B	
10.	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	प्रक्रियाधीन	-	LOI 21.09.2013 भेजा
11.	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 15.04.2015 भेजा।
12.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 21.03.2015 भेजा।
13.	प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	-	-	LOI 30.01.2013 भेजा।
14.	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	-	-	

टीप:-

1. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 15.04.2015 भेजा है।
2. मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.03.2015 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
3. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.09.2013 भेजा है। महाविद्यालय की नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही नैक प्रत्यायन टीम का निरीक्षण हेतु आने की संभावना है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW03620/725006/NAAC/2013/110264 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
4. प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के पत्रानुसार उसने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 30.01.2013 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW04590/725012/NAAC/2013/10274-75 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recongised institution of M.Ed. Course"

तत्पश्चात् महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(C) No. 1354 of 2014 द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"Considering the submission of learned counsel for the parties it would be proper to hear the matter at an early date and considering that 15th of August is the last date of admission, it would be open for the petitioner, on its own peril, admit the students provisionally."



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों/अधिकारी की स्थायीकरण के संबंध में।

वर्ष 2013 में निम्नलिखित शिक्षकों/अधिकारी को दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 6 के अनुसार परीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण किये जाने पर स्थायीकरण किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2013 में निम्नलिखित शिक्षकों को दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है। इन शिक्षकों का परीक्षा अवधि काल का स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार का प्रतिकूल टिप्पणी का उल्लेख नहीं है।

क्रं.	नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. श्रीमती कविता ठाकुर, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स	04.03.2013	04.03.2015
2	श्री लब्य प्रभास, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैविकी	04.03.2013	04.03.2015

अतः उपरोक्त उल्लेखित शिक्षकों की परीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से स्थायीकरण किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।



Academic Staff College

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) – 492 010

Email: sharmabk07@gmail.com.9406030873(mob)


Ref. No./ /ASC/2015


Raipur, dated: 04 /04/2015.

32

“Minute of Meeting of Advisory committee of Academic Staff College” (04.04.2015)

- (01) **Approval of the minute of Academic Advisory committee meeting dated 20.05.2014.**
M01 Approved.
- (02) **Approval of Revised Guidelines for ASC.**
M02 Approved with suggestion to write a letter to UGC regarding renaming the teaching staff already appointed in ASC.
- (03) **Approval of two workshops proposed.**
M03 Approved.
- (03) **Approval of course curricula for Session 2015-2016.**
M04 (a). Approved with the suggestion to mention a clear course design of each OP and should contain at least one interaction hour on CBCS, research methodology, IQAC, Academic Administration & teaching methods separately.
(b). Explore to hold some programs in the neighbouring colleges/ Universities.
(c). Prepare the list of RP well in advance for an course.
(d). Include some short term course for nonteaching staff & research scholars.
- (04) **Statement of program organized/not organized during 2014-15 including nonteaching staff training.**
M04 Noted with the expectation that the two faculty members would ensure the minimum number of participants in the program.
- (05) **Statement of data breakup concerning programs organized since its inception i.e. from 2007 to up to March 15.**
M05 Noted.
- (06) **Approval of ASC Budget provision in RSU budget for FY 2014-2015.**
M06 Noted.
- (07) **Status of construction of separate ASC building.**
M07 Noted the information given by the Registrar.
- (08) **Compliance report of last AAC.**
M08 Noted the proposed Compliance report as below:
(i). constituting a core committee of the following members:
(a). Prof. G.B. Sharma
(b). Prof. Mustaffa
(c). Dr. R.N. Singh
(d). Prof. A.K. Gupta.
(ii). Feedback analysis be done.
(iii). Library bookshelf be created.
Above committee will scrutinize each program in advance and suggest modus-operandi for implementing the same.
- (09) **Meeting concluded with the vote of thanks to the chair.**


Director I/C
Director,
Academic Staff College,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR-492 010.



Academic Staff College,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur - 492 010

Prof. B. K. Sharma, Director I/C Mobile No. 94060-30873,
E-mail: sharmabk07@gmail.com



No./196 /ASC/15

Raipur, Dated, April 09, 2015

To,

Subject:- Minutes of Academic Advisory Committee meeting dated Meeting
April 04, 2015.

Ref.- Note sheet No. 189/ASC/15, Dated-06/04/2015.

Respected Sir/Madam,

Under the letter mentioned in the reference, the minute
of the Academic Advisory Committee meeting dated April 04, 2015 duly approved
by the hon'ble Kulpati (the Chairperson of Academic Advisory Committee) is
enclosed herewith for your information please.

With regards.

Yours sincerely

(B.K. Sharma)
Director, I/C (ASC)

Director,
Academic Staff College,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR-492 010.

Encl-Minute. of AAC Meeting.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 11 मई, 2015 को अपरान्ह
03.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 1-5)
02. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत Flash Purification system क्रय के संबंध में रु. 12,03,600/- (रु. बारह लाख तीन हजार छः सौ मात्र) विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 6)
03. सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 11,20,000/- (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 7-8)
04. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आबंटन एवं किराया निर्धारण के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 9)
05. पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पुनः पुनर्मूल्यांकन एवं लिखित उत्तर पुस्तिका के निर्धारित शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 10)
06. वर्ष 2016 की परीक्षा के आवेदन आनलाइन से प्राप्त करने एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्राप्त निविदा पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 11-12)
07. फर्नीचर क्रय करने हेतु MOU/Rate Contract करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 13)
08. वर्ष 2006-2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्कैन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टेम्प लगाकर उपाधि जारी करने के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 14)
09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ सं. 15)

10. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 77,22,000/- (रुपए सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ-16)
11. वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य का देयक राशि रु. 08,53,331=50 (रु. आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ-17)
12. वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रु. 17,99,206=64 (रुपए सत्रह लाख निन्यानबे हजार दो सौ सात मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ-18)
13. शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।
टीप : विनियम - 107 की कंडिका - 5 के अनुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 22.04.2015 में विचार किया गया। शोध उपाधि समिति द्वारा शोध केन्द्र की मान्यता हेतु अनुशंसा की गई है। विनियम - 107 की कंडिका - 8 के प्रावधानानुसार कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (पृष्ठ-19)
14. बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स (B.Voc.) के अध्यादेश एवं इससे संबंधित रेगुलेशन के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष के अनुमति से रखे जाने हेतु अध्यादेश को प्रेषित किया गया है। विनियम कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (पृष्ठ-20-24)
15. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक ९६/वि. वि. यंत्री/2015

रायपुर, दिनांक 07/05/2015

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 06.05.2015 को सायं 03:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. शिव कुमार पाण्डेय - अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी) - सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान, डीन साईंस - सदस्य
4. श्री बी० सी० बिश्वास (वित्त नियंत्रक) - सदस्य
5. श्री के० पी० तिवारी (वि० वि० यंत्री) - सदस्य
6. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री - प्रभारी यांत्रिकी
7. श्री के० के० चन्द्राकर, कुलसचिव - सचिव

विषय क्रमांक:-1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20/01/2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20/01/2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक:-2 दिनांक 20/01/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय:- दिनांक 20/01/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक:-3 लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।
निर्णय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गयी राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

विषय क्रमांक:-4 विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस भूतल एवं प्रथम तल के नवीनीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग ने पूर्व में राशि रूपए 33.05 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया था। भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20-01-2015 में भवन में पुताई के पूर्व स्केपिंग करने, पुट्टी लगाने का निर्णय किया गया था। तदनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 40.72 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस भूतल एवं प्रथम तल के नवीनीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राक्कलन को संशोधित करते हुए नया प्राक्कलन प्रस्तुत किया है संशोधित प्राक्कलन में पुताई के पूर्व स्केपिंग करने, पुट्टी लगाने के अतिरिक्त 22 नये आईटम (जो पूर्व में शामिल नहीं थे) वे शामिल किया गया है। इसलिए प्राक्कलन राशि में वृद्धि हुई है। तदनुसार संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 40.72 लाख का अनुमोदन करते हुए कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-5 विश्वविद्यालय के फार्मसी भवन फेस-2 (प्रथम तल- विस्तार कार्य) हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 245.04 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के फार्मसी भवन फेस-2 (प्रथम तल- विस्तार कार्य) हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 245.04 लाख पर विशेषज्ञ द्वारा ध्यान में लाया गया कि लोहे की छड़ आईटम छोड़ दिया गया है। अतः लोहे की छड़ को शामिल करते हुए संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 252.40 का अनुमोदन करते हुए यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने एवं प्राक्कलन राशि का 33 प्रतिशत भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

विषय क्रमांक:-6 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे (सेंट्रल वेल्यूशन हॉल भवन के सामने) रिक्त स्थल पर नवीन उद्यान रोपण कार्य हेतु संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 17,80,427/- पर विचार करना यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ रायपुर से कराने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे (सेंट्रल वेल्यूशन हॉल भवन के सामने) रिक्त स्थल पर नवीन उद्यान रोपण कार्य हेतु संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 17,80,427/- का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ रायपुर से कराने एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-7 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रेक्षागृह उद्यान, जैविकी विभाग उद्यान, विज्ञान भवन उद्यान एवं प्रशासनिक भवन के सामने उद्यान के वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 18,32,645/- (अट्दारह लाख बतीस हजार छः सौ पैतालीस रूपए मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रेक्षागृह उद्यान, जैविकी विभाग उद्यान, विज्ञान भवन उद्यान एवं प्रशासनिक भवन के सामने उद्यान के वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र

वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 18,32,645/- (अट्ठारह लाख बत्तीस हजार छः सौ पैतालीस रूपए मात्र) के अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़, रायपुर से कराने एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-8 विश्वविद्यालय में पूर्व में दिनांक 19-09-2005 को हुये अनुबंध अनुसार आर्किटेक्ट फर्म मेसर्स मार्डन कंस्ट्रक्टेन्ट्स, भिलाई द्वारा विश्वविद्यालय परिसर का प्लेन टेबल सर्वे एवं कन्टूर सर्वे का कार्य कराया गया है। फर्म को हुये आदेशानुसार, सी. डी. एव प्रिंट कॉपी जमा कराया गया है। पूर्व में फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया है। तदनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 3,74,017/- (तीन लाख चौहत्तर हजार सत्रह रूपए मात्र) का भुगतान भवन निर्माण समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है। सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय में पूर्व में दिनांक 19-09-2005 को हुये अनुबंध अनुसार आर्किटेक्ट फर्म मेसर्स मार्डन कंस्ट्रक्टेन्ट्स, भिलाई द्वारा विश्वविद्यालय परिसर का प्लेन टेबल सर्वे एवं कन्टूर सर्वे का कार्य कराया गया है। फर्म को हुये आदेशानुसार, सी. डी. एव प्रिंट कॉपी जमा कराया गया है। पूर्व में फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया है। तदनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 3,74,017/- (तीन लाख चौहत्तर हजार सत्रह रूपए मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण की गई एवं भुगतान का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक:-9 विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बेसिक साइंस भवन निर्माण में वास्तुविद् द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है तथा उल्लेख किया गया है कि नींव की खुदाई 02 मीटर रहेगी तथा यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में तैयार प्राक्कलन 02 मंजिल के लिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रावधान किया गया था। परंतु स्ट्रक्चरल ड्राइंग 04 मंजिल तैयार करने के कारण प्राक्कलन में बढ़ोतरी हो रही है। भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21/10/2014 में राशि रूपए 3,83,25,485/- की प्रशासनिक स्वीकृति से 6.9 प्रतिशत अधिक रूपए 4,09,67,000/- हो रही है। जिसमें 08 प्रतिशत Escalation एवं 4.49 प्रतिशत निविदा दर जोड़ा गया है। अतः बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि रूपए 26,41,515/- के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बेसिक साइंस भवन निर्माण में वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन 02 मंजिल के स्थान पर 04 मंजिल स्ट्रक्चरल डिजाइन के प्रावधान के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि रूपए 26,41,515/- का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक:-10 विश्वविद्यालय में भौतिकी डोम निर्माण कार्य अपरिहार्य कारणों से अधूरा पड़ा है। मेसर्स अनीता कंस्ट्रक्शन रायपुर द्वारा किये गये कार्य का भुगतान अपरिहार्य कारणों से लम्बित था। पूर्व में फर्म को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय यंत्री श्री के. पी. तिवारी एवं श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री (सिविल) द्वारा वर्तमान स्थिति में ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का मापन एवं मूल्यांकन कर (प्रथम एवं अंतिम) देयक राशि रूपए 3,11,109/- तैयार कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। भुगतान हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- विश्वविद्यालय में भौतिकी डोम निर्माण कार्य के ठेकेदार मेसर्स अनीता कंस्ट्रक्शन रायपुर द्वारा किये गये कार्यों का वर्तमान स्थिति में मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर तैयार देयक राशि रूपए 3,11,109/- भुगतान की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-11 विश्वविद्यालय के कला भवन एवं प्रशासनिक भवन के बीच खेल मैदान की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 43.80 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के कला भवन एवं प्रशासनिक भवन के बीच खेल मैदान की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 43.80 लाख के संबंध में विशेषज्ञ सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 37.78 लाख का अनुमोदन करते हुए यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने हेतु प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-12 विश्वविद्यालय के बायोटेक्नॉलाजी भवन से लेकर फार्मसी विभाग के पीछे तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 27.18 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के बायोटेक्नॉलाजी भवन से लेकर फार्मसी विभाग के पीछे तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 27.18 लाख के संबंध में विशेषज्ञ सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 23.46 लाख का अनुमोदन करते हुए यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने हेतु प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-13 विश्वविद्यालय के बी. एड. भवन निर्माण में वास्तुविद द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाईन के अनुसार संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है तथा उल्लेख किया है कि नीव की खुदाई 2.00 मीटर रहेगी तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में तैयार प्राक्कलन 02 मंजिल के लिये स्ट्रक्चरल ड्राईंग पावधान किया गया था। परन्तु स्ट्रक्चरल ड्राईंग 04 मंजिल तैयार करने

के कारण प्राक्कलन में बढ़ोत्तरी होगी पूर्व में भवन निर्माण की बैठक दिनांक 21-10-2014 में राशि रूपए 4,69,42,931/- की प्रशासनिक स्वीकृति से 16 प्रतिशत अधिक रूपए 5,44,70,000/- हो रही है। अतः बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि रूपए 75,27,069/- के अनुमोदन पर विचार करना।


निर्णय:- विश्वविद्यालय के बी. एड. भवन निर्माण में वास्तुविद द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाईन 02 मंजिल के स्थान पर 04 मंजिल किये जाने के कारण प्राक्कलन राशि में बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि रूपए 75,27,069/- का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक:-14 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग भवन निर्माण हेतु रूपए 10,000,000/- स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के प्रथम तल के उपर द्वितीय तल में हिन्दी विभाग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग भवन निर्माण हेतु रूपए 10,000,000/- स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के प्रथम तल के उपर द्वितीय तल में हिन्दी विभाग का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से:-प्रबंध संस्थान से कम्प्यूटर साईंस अध्ययनशाला होते हुए कैंटीन तक बाउण्ड्रीवॉल बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 34.27 लाख का अनुमोदन किया गया।


कुलपति



कुलसचिव

पृ. क्रमांक 97 / वि. वि. यंत्री / 2015

रायपुर, दिनांक 07 / 05 / 2015

प्रतिलिपि:-

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

पृष्ठ क्रमांक-05

DEPOSIT WORK OF PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C.G.)

(Up to -04/05/2015)

S.No.	Name of Work	Contracter Detail Name	Agreement No.	Date of Work order	Due Date of Completion	PAC Amount (in Lacs)	Work Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Physical Education Building at Pt. RSU Raipur	M/s Mohar Sai Sahu	<u>165/DL</u> 2013-14	04/03/2014	03/11/2014	69.03	(i) Work completed according agreement (ii) Extra work continue as per Instruction of Registrar
2	Construction of Badminton court & Zynmesium Hall Renovation	M/s C.M. Construction Raipur	<u>153/DL</u> 2013-14	27/01/2014	10/08/2014	33.61	Stop due to contractor problem.
3	Gandhi Hostel Renovation	Modern Builder (Rupesh Jha)	<u>166/DL</u> 2013-14	03/03/2014	17/09/2014	70.66	Work is in Progress 99% completed.
4	Azad Hostel Renovation	Modern Builder (Rupesh Jha)	<u>167/DL</u> 2013-14	03/03/2014	17/09/2014	42.09	Upto 90% completed.
5	Construction of Pharmacy Building (GF+FF)	Shri Rupesh Kumar Jha	<u>14/DL</u> 2014-15	04/07/2014	18/03/2015	59.90	Finishing work is in running
6	Construction of Golden Jublee Gate at Pt. RSU Raipur	Shri Ashish Shrivastav	<u>151/DL</u> 2013-14	04/01/2014	03/11/2014	40.07	Work is in progress.
7	Construction of Chemistry Building (G.F.+FF)	Sai Kripa Nirman	<u>82/DL</u> 2014-15	09/03/2015	9 Month	70.49	Cleaning/ Work stop due to electric supply line.
8	Construction of Electronics and photonics Building (GF+FF)	Sai Kripa Nirman	<u>81/DL</u> 2014-15	03/03/2015	9 Month	73.82	Part of Dismantaling / column excute
9	Balance work of New Girls Hostel F.F.	S.S. Construction (Mohit Soni)	<u>83/DL</u> 2014-15	12/03/2015	5 Month	41.16	Grading work completed

S.No.	Name of Work	Contracter Detail Name	Agreement No.	Date of Work order	Due Date of Completion	PAC Amount (in Lacs)	Work Status
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Guest House Hall (Renovation + Cosntruction) (Addition Room)	Marval Construction (Dinesh Solonki)	<u>87/DL</u> 2014-15	23/03/2015	6 Month	22.13	Slab Casting completed plaster work is in progress.
11	Balance work of Bio Technology Building	Dhanraj Buildcon Gyanesh Thakur	<u>60/DL</u> 2014-15	1/15/14	6 Month	<u>49.78</u> 48.34	80% Work completed.
12	Renovation of Staff Quarter at Pt. RSU Raipur	Shri Kalpesh Jain, Raipur (Amit)	<u>61/DL</u> 2014-15	01/12/2014	6 Month	40.32	90% Work completed.
13	Renovation of Library Building at Pt. RSU Raipur (Phase-II)	M/s Om Sai Builder, Raipur (Pankaj Tiwari)	<u>62/DL</u> 2014-15	01/12/2014	6 Month	22.34	60% Work completed.
14	Construction of Garrage behind ADM	Amit (Omprakash Sahu)	<u>65/DL</u> 2014-15	21/01/2015	6 Month	10.91	50% Work completed.
15	Renovation of Old P.G. Girls Hostel	Shri Rupesh Jha, Raipur	<u>57/DL</u> 2014-15	03/11/2014	7 Month	57.98	25% Work completed.
16	Construction of Parking shed at Behind of art Bhawan	Takeram Bais	<u>80/DL</u> 2014-15	27/02/2015	2 Month	11.33	Work in progress Foundation completed
17	Construction of Vehical parking shed Behind SRC Building	Aashish Kaivartya	<u>79/DL</u> 2014-15	26/02/2015	2 Month	18.33	Work in progress Foundation completed
18	Construction of parking shed infront of admin Block	RJd Construction (Gouri Shankar Pandey)	<u>02/DL</u> 2015-16	24/05/2015	2 Month	12.54	Started
19	Renovation and construction of Central valuation Hall	MGM Associates	<u>75/DL</u> 2014-15	16/02/2015	13 Month	148.85	Started (Sub Engineer - Arvind Dey)
20	Construction of Press Godown	Agrawal Rekhchand	<u>76/DL</u> 2014-15	18/02/2015	13 Month	122.38	Work started to column footing work in progress

S.No.	Name of Work	Contracter Detail Name	Agreement No.	Date of Work order	Due Date of Completion	PAC Amount (in Lacs)	Work Status
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Construction of NCNR Building	Atul Chauhan	<u>84/DL</u> 2014-15	17/03/2015	11 Month	220.52	Work started to column footing work in progress
22	Construction of Basic Science	Ajitabh Mishra	<u>78/DL</u> 2014-15	26/02/2015	11 Month	240.44	Started
23	Construction of B.ed College	Suresh Agrawal	<u>85/DL</u> 2014-15	12/03/2015	11 Month	340.27	Pending Decission due to Structural Drawings
24	Construction of Academic Staff college (F.F.)	M/s SMS Construction Raipur (Sohan Tamarakar)	<u>74/DL</u> 2014-15	11/02/2015	13 Month	121.10	Work in progress
25	Construction of 3Km Boundary wall at around University	M/s Padmavati Riyalitis Raipur	<u>108/DL</u> 2013-14	23/09/2013	22/10/2014	249.22	2500 mtr Completed
26	Construction of Utility centre Building at Pt. RSU raipur	M/s AVR Infratech Pvt. Ltd.	<u>85/DL</u> 2013-14	29/08/2013	28/09/2014	236.32	Finishing work is in progress
27	Construction of Bio Science Building at Pt. RSU Raipur.	M/s Gouri Construction raipur	<u>17/DL</u> 2014-15	15/07/2014	12/08/2015	147.53	70% work Completed same work pending due to resion of design
28	Construction of Girls Hostel part -I at Pt. RSU raipur	M/s AVR Infratech Pvt. Ltd.	<u>86/DL</u> 2013-14				80% Plaster completed, Putty work is in Progress. (Sub Engineer- Vishal Sharma)
29	Renovation of Tribal Study Building Raipur	Marval Construction					Plaster and groufing work is in progress. (Sub Engineer- Vishal Sharma)

Sub Engineer
PWD Sub Dn. No. 3 (B&R)
Raipur (C.G.)

Sub Divisional Officer
PWD Sub Dn. No. 3 (B&R)
Raipur (C.G.)

संक्षेपिका

विषय - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा, रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत Flash Purification system खरीदने हेतु

फार्मसी संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा, रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत पत्र क्रमांक f. No. 8 - 126/RPID/policy - 3/2013 दिनांक 4 फरवरी, 2014 के माध्यम से प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ को रिसर्च प्रोजेक्ट प्रदाय किया गया है, इस प्रोजेक्ट में कुल 14,70,588/- रुपये का अनुमोदन प्रदाय किया गया है, जिसमें से 12,50,000/- रुपये उपकरण खरीदने हेतु प्रदाय किया गया है।

उपरोक्त परियोजना में Flash Purification system हेतु स्वीकृती प्राप्त हुई है। उपरोक्त उपकरण को वि. वि. विनियम 108 के कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार क्रय प्रक्रिया गुणवत्ता के आधार पर एकल निविदा के आधार पर सीधे निर्माता द्वारा खरीदने हेतु प्रक्रिया की गई है।

इस हेतु विभागीय क्रय समिति द्वारा दिनांक 24-03-2015 एवं केन्द्रिय क्रय समिति द्वारा दिनांक 23-04-2015 को अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

जो निम्नानुसार है -

उपकरण का नाम : Flash Purification system

- Model 11059792 "Sepacore Easy Synthesis" - 1Pc
 - Purification system for binary gradient flash separation. Including 2x pump modules.
- Model 11058148 UV-Vis Detector - 1Pc
 - C- 640 (100-240 V/50-60 Hz) Diodes Array Detector with preparation flow cell. Range 200-840nm. 4 wavelengths simultaneous detection.

उपकरण BUCHI India Pvt. Ltd Mumbai Subsidiary & Manufacturing co. of Buchi labortechnik AG, Switzerland

Total cost CIF Kolkata CHF 17700

संभावित राशि भारतीय रू. - 1203600/- (बारह लाख तीन हजार छः सौ रुपये है
Current rate 1 CHF+ 68.97 रुपये)

उपरोक्त उपकरण बैंक IT के माध्यम से खरीदा जावेगा एवं भुगतान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा, रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत प्राप्त अनुदान से किया जावेगा।

प्रकरण कार्य परिषद के स्वीकृती हेतु प्रस्तुत

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

केंद्र / महा.कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केंद्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		118	विप्र कला-वाणिज्य महा., वि.वि. के पीछे, रायपुर
30,000 107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती, रायपुर	107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा पुरानी बस्ती, रायपुर
		117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
30,000 112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	103	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
		112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर
		113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर
40,000 115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर
		123	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर
		129	आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर
		131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर
30,000 119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर
		119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर
		120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर
30,000 128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर
		128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर
20,000 164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)
		166	शंभुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा)
30,000 169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अमनपुर	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अमनपुर
		201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार
30,000 201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार
		210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल
30,000 203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा
10,000 205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा	205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा
30,000 209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	208	शास. राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगाव
		209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़
		175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)
20,000 251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम
20,000 255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा., गरियाबंद	255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद
30,000 301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द्र	168	शास. बट्टीप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग
		301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द्र
20,000 306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा	306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा
		307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा
		309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली
30,000 309	शास. स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली
20,000 351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महा., धमतरी	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी
20,000 361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)	361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)
30,000 365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद
		362	शासकीय महाविद्यालय भखारा
		366	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड
		402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग
30,000 402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग	402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग
		403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
30,000 404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग	404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग
		435	स्वामी स्वरूपानंद शिक्षा संस्थान, हुडको, भिलाई

560,000/-

441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाइनगर	426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई
		428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाइनगर
		438	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा संस्थान, भिलाई
		441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाइनगर
461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	430	साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई
		448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्म. टेक्ना., कोहका-जूनवानी रोड भिलाई
		450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्ना., कोहका-कुरुद रोड, भिलाई
		461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3
463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई
464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन
468	शासकीय चन्द्रलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	468	शासकीय चन्द्रलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा
501	शासकीय पं.ज.लाने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	501	शासकीय पं.ज.लाने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा
		504	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया जिला - दुर्ग
		505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़
502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा
551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद
		557	संत राजाराम सदाणी नागरिक महा., डोंडीलोहारा
552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा
564	शा. महा. खेरथा, जिला-बालोद	564	शा. महा. खेरथा, जिला-बालोद
601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा	601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा
		606	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा
605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई
657	शासकीय कमलादेवी महिला महा., राजनांदगाँव	657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव
665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी	665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी
668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव	668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव
669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़	669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़
		672	शास. कुंजबिहारी चौबे महा., लालबहादुर नगर
670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका	670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका
671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़	666	शासकीय वीरांगना अवंतिबाई महा., छुईखदान
		671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़
673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर

टीप :- 1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
2. संबंधित परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 09/10/2014

पृ.क. 2491/परीक्षा/महावि./सेमेस्टर/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालय,
2. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/विकास/प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
3. वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. संपादक समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सबेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।



वि.क.अ. (परीक्षा)

विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आवंटन एवं किराया निर्धारण के संबंध में विचार करना।

1. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु प्रेक्षागृह के आंतरिक भाग का आवंटन हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है:-

बाह्य व्यक्तियों के लिये (प्रति दिवस) किराया शुल्क (प्रेक्षागृह आंतरिक भाग)	विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए (प्रति दिवस) किराया शुल्क (प्रेक्षागृह आंतरिक भाग)	अमानत राशि रूपए
60000/-	50000/-	10000/-

2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का आवंटन विश्वविद्यालय कर्मचारी/अधिकारियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित (पिता/माता, पुत्र/पुत्री) कार्यक्रम लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है:-

किराया (प्रति दिवस)	अमानत राशि रूपए	बिजली, पानी, साफ-सफाई शुल्क
12000/-	2000/-	2000/-

माननीय कुलपति जी के सक्षम अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निर्धारित दर पर किराया राशि की आधी दर से अर्थात् 6000/- रूपए प्रति दिवस की दर से आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। अमानत राशि 2000/- रूपए, बिजली, पानी, साफ-सफाई शुल्क 2000/- रूपए सभी के लिए एक ही समान दर से निर्धारित किया जाना है।

विश्वविद्यालय के कर्मियों से संबंधित (पिता/माता, पुत्र/पुत्री) दशगात्र/तेरहवी, जैसे कार्यक्रम हेतु 2000/- रूपए प्रति दिवस एवं साफ-सफाई हेतु 1000/- रूपए किराया लिया जाना प्रस्तावित है।

विचारार्थ प्रस्तुत

— विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक-
दिनांक 10-09-2010 में, प्ररत सूची में पद क्रमांक-
04 पर लिये गये- निणय वस्पाकर आवश्क
बाजनाही- हेतु आपनी- और अत्रेधित- ही

04 विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आवंटन एवं निर्धारित किराया के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

क्र.	बाह्य व्यक्तियों के लिए	विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्तियों के लिए	अमानत राशि
1	प्रेक्षागृह (आंतरिक) रु. 40,000/-	रु. 10,000/-	रु. 5000/-
2	प्रेक्षागृह (बाह्य लॉन) रु. 30,000/-	रु. 5,000/-	रु. 5000/-

इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेक्षागृह आंतरिक का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही किया जावे तथा किसी भी स्थिति में शादी-ब्याह हेतु आवंटित नहीं की जावे।

प्रेक्षागृह बाह्य लॉन का उपयोग केवल विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पति/पत्नी एवं ब्लड रिलेशन के लिए ही आवंटन किया जावे। अन्य बाहरी व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में आवंटन नहीं किया जावे।

सामुदायिक भवन का किराया रु. 10,000/- तथा सफाई एवं बिजली के लिए रु. 1000/- अतिरिक्त निर्धारित किया गया। इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि सामुदायिक भवन का आवंटन केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों के ब्लड रिलेशन के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य बाहरी व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में आवंटन नहीं किया जावे। कुलपति की अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित दर से आधी दर पर आवंटन किया जावे। परंतु सफाई एवं बिजली व्यवस्था के लिए अतिरिक्त रु. 1000/- देना होगा।

ये
22/9/10

~~वि० क० अ० अ० (अ० क०)~~



[Handwritten signature]
23/9/2010

[Handwritten signature]
22/9/10

43
10-
44
21
12
2

विषय:- पुनर्गणना, पुर्नमूल्यांकन, पुनः प पुर्नमूल्यांकन एवं लिखित उत्तर पुस्तिका के निर्धारित शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

टीप:- विश्वविद्यालय परीक्षा संपन्न होने के फलस्वरूप परिणाम घोषित होने के बाद पुनर्गणना, पुर्नमूल्यांकन, पुनः पुर्नमूल्यांकन एवं लिखित उत्तर पुस्तिका प्रदान करने का प्रावधान है। जिसमें निम्नानुसार शुल्क निर्धारित आवेदनपत्र के साथ लिया जाता है:-

1. पुनर्गणना- प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 50/- सभी उत्तर पुस्तिका रूपये 150/-
2. पुर्नमूल्यांकन - प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 150/- (पुर्नमूल्यांकन अधिकतम 02 उत्तर पुस्तिका)
3. लिखित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 300/-
4. पुनः पुर्नमूल्यांकन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 500/-

उपरोक्त शुल्क में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. पुनर्गणना- प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 50/-
2. पुर्नमूल्यांकन - प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 250/- (पुर्नमूल्यांकन अधिकतम 02 उत्तर पुस्तिका)
3. लिखित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने के लिए प्रति उत्तर पुस्तिकाएँ रूपये 400/-
4. पुनः पुर्नमूल्यांकन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिकाएँ रूपये 500/- (यथावत)

प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत ।

फर्नीचर क्रय करने के हेतु MOU/Rate Contract करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत

(A) वि०वि० के कला भवन के कलस्टर क्लास रूम, कांफ्रेस हाल, क्लास रूम के फर्नीचर, प्रयोगशाला फर्नीचर, पलंग, रिकार्ड रूम के रैक, कोरी उत्तर पुस्तिका रखने के लिये रैक इत्यादि सामग्री क्रय करने के लिये निविदा सूचना क्र० 953 दिनांक 31 दिसंबर 2014 समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किया गया था, जिसमें फर्नीचर क्रय हेतु 02 वर्ष का MOU किये जाने का उल्लेख है ।

(B) उक्त निविदा के निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों के द्वारा सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया गया

- 1/ मे० डिलाईट फर्नीचर, स्थानीय पता नलघर चौक, रायपुर ।
- 2/ मे० मेथाडेक्स सिस्टम लि० अशोका मिलेनियम प्लाजा, रायपुर ।
- 3/ मे० वुडक्रेज, जवाहर नगर, रायपुर ।
- 4/ मे० यश इंजीनियरिंग सेल्स देवेन्द्र नगर, रायपुर रायपुर ।
- 5/ मे० भाटिया इंजीनियरिंग वर्क्स, जी०ई० रोड, दुर्ग ।
- 6/ मे० अनुप कुमार त्रिपाठी, कानपुर उ०प्र० ।
- 7/ मे० स्वास्तिक स्टील इंडस्ट्रीज, सदर रोड, नवापारा, राजिम, जिला रायपुर ।

(C) उपरोक्त फर्मों से प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण हेतु वि०वि० द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 13, 17 मार्च 2015 एवं दिनांक 07 मई 2015 को प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई ।

(D) उक्त निविदा के तहत प्राप्त 08 फर्मों के प्राप्त दस्तावेजों में से 02 फर्मों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जिसमें NSIC, तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत होने तथा ISO प्रमाण पत्र संलग्न है, निर्माता फर्म है, जिनका नाम निम्नानुसार है :-

- 1/ मे० डिलाईट फर्नीचर, स्थानीय पता नलघर चौक, रायपुर ।
- 2/ मे० मेथाडेक्स सिस्टम लि० अशोका मिलेनियम प्लाजा, रायपुर ।

फर्नीचर क्रय हेतु गठित समिति एवं विभागीय क्रय समिति द्वारा निम्नलिखित फर्मों से फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- 1/ मे० डिलाईट फर्नीचर, स्थानीय पता नलघर चौक, रायपुर ।
- 2/ मे० मेथाडेक्स सिस्टम लि० अशोका मिलेनियम प्लाजा, रायपुर ।

फर्नीचर क्रय हेतु गठित समिति के अनुशंसा पश्चात् कार्यपरिषद की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

वर्ष 2006-2009की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्केन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टैम्प लगाकर उपाधि जारी करने के संबंध में विचार।

टीप - शैक्षणिक सत्र वर्ष 2006-2009 में विद्यार्थियों से परीक्षा फीस के साथ उपाधि शुल्क जमा करवा कर उपाधियाँ मुद्रित करवाकर उनके घर के पते पर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जा रहा है। उपाधि हेतु 2006-2009 के पूर्व एवं पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा शुल्क आवेदन करने पर ही उपाधि तैयार करने की परंपरा लागू है। उपाधि हेतु प्राप्त आवेदनों में वर्ष 1964 से 2014 शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, सामान्य शुल्क राशि रु.250/- अन्तर्गत समय-सीमा 3 महिने निर्धारित है, तथा वीजा, नौकरी की साक्षात्कार के लिए अर्जेंट शुल्क राशि रु. 500/- अन्तर्गत 15 दिवस में उपाधि प्रदान करने समय सीमा नियत है।

ADDITIONAL STATUTE NO.1 की कंडिका क्र.18 में मूल उपाधि कुलपति जी के हस्ताक्षर से जारी करने प्रावधान है। दैनिक प्राप्त उपाधि आवेदन, अर्जेंट उपाधि आवेदन, डुप्लिकेट एवं संशोधित उपाधि में हस्ताक्षर के उपरांत 2009 की प्रिन्टेड स्नातक उपाधि 14,432 में हस्ताक्षर करने में काफी समय लगना संभावित है अतः माननीय कुलपति जी की प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों में व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए 2006-2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति जी के मूल हस्ताक्षर को स्केन कर उपाधि में प्रिंट कराने अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टैम्प बनवाकर उपाधि में लगाये जाने के विकल्प हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ADDITIONAL STATUTE NO. 1

CONVOCAATION

(Refer Section 35(f))

(Proposed by the Executive Council at its meeting held on 13-8-76 and approved by the Co-ordination at its meeting held on 29-1-77)

1. A convocation for the purpose of conferring Post-graduate Degrees and making awards shall ordinarily be held every year in the month of December at the Head Quarters of the University and shall be called Annual Convocation. A Special Convocation may also be held at such time as may be found necessary or convenient. The actual date of the convocation in each case shall be fixed by the Kulpati with the approval of the Kuladhipati.
2. Ordinarily not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for holding a convocation. This period may however, be reduced to 10 days in the case of Special Convocation or in any other case where such a course is considered expedient by the Kulpati.
3. The candidates desiring to receive degree in person must apply to the Registrar 15 clear days before the date fixed for the convocation in the prescribed form together with a fee of Rs. 5/- intimating their intention to be present at the convocation. Provided that the Kulpati may in special cases permit the receipt of late applications up to seven days before the date of convocation, if such applications are accompanied by a late fee of Rs. 5/-.
4. Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation may apply for receiving their degrees in absentia in the prescribed form one month after the date of convocation alongwith a fee of Rs. 10/- and postal charges of Rs. 3/-.
5. Every degree shall bear the signature of the Kulpati. The date on the degrees, whether to be awarded at the convocation or otherwise, will be the same as the date of the University convocation.
6. The Kuladhipati, Kulpati, Deans of Faculties, members of the Executive Council, Academic Council, Court and the Registrar shall wear the academic costumes of the University of which they are graduates or the gowns or any other costumes prescribed by the Executive Council.
7. Candidates at the convocation shall put on the academic robe prescribed by the Executive Council and no candidate shall be admitted to the convocation without the academic robe prescribed by the University.
8. Degrees will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification before or after the convocation as decided by the University.

9. The Kuladhipati, the Kulpati, the Deans of the Faculties, members of the Court, Executive Council and Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground :-

- 1) The Registrar
- 2) Members of the Academic Council
- 3) Members of the Court
- 4) Members of the Executive Council
- 5) Deans of Faculties
- 6) The Kulpati
- 7) The Chief Guest, if any
- 8) The Kuladhipati.

10. The Kuladhipati, the Chief Guest, the Kulpati, the Chief Minister, the Education Minister, Deans of the Faculties, members of the Executive Council, the Registrar and such other persons named by the Executive Council shall take their seats on the Dias and the members of the Court and the Academic Council on both sides of the Dias in places reserved for them.

11. The candidates present at the convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters in the convocation pandal. As the procession enters the convocation pandal, all those present shall rise and remain standing until the members of the procession have taken their respective seats.

12. The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Kuladhipati or in his absence with the permission of the Kulpati. On a request from the Kulpati the Kuladhipati and in the absence of the Kuladhipati, the Kulpati will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation :-

- 1) Honorary Degrees, if any
- 2) D.Litt.
- 3) D.Sc.
- 4) Ph.D.
- 5) LL.D.
- 6) Post-graduates

Degrees in the following Faculties :-

- 1) Faculty of Arts
- 2) Faculty of Social Science
- 3) Faculty of Science
- 4) Faculty of Life Science
- 5) Faculty of Engineering
- 6) Faculty of Law
- 7) Faculty of Commerce
- 8) Faculty of Education
- 9) Faculty of Physical Education
- 10) Faculty of Home Science

- 11) Faculty of Technology
- 12) Faculty of Ayurved
- 13) Faculty of Medicine.

13. The Deans of their respective faculties shall present all the candidates for various degrees under the faculty and the Kulpati shall admit the candidates present also in absentia to the degrees concerned. The Citation for the Deans of the faculties and the Kulpati shall be as prescribed by the Executive Council. Recipients of the degrees shall remain standing while the Dean and the Kulpati admits the candidates to the degree.

14. In the case of conferment of Honorary Degrees the citation admitting the recipient to the degree may be modified by the Kuladhipati in a suitable manner. After the degrees have been conferred, the Registrar shall declare the number of the degrees/diplomas that have been conferred on regular and private candidates present at the convocation and also in absentia.

15. The Kuladhipati or in his absence the Kulpati shall then present the medals and prizes to the recipients of the medals and prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the Kuladhipati or the Kulpati as the case may be. The names of the recipients shall be read out by the Registrar.

16. The Kuladhipati or in his absence the Kulpati shall then request the Chief Guest to address the convocation.

17. The convocation address will thereafter be delivered. The Registrar, with the permission of the Kuladhipati and in his absence with the permission of the Kulpati, will then declare the convocation closed and the procession will leave the convocation hall. All shall remain standing till the procession moves out of the arena.

18. Notwithstanding any thing contained in the Statute the Kuladhipati may suspend holding of the annual convocation or convocations. In such case the degrees will be sent to the candidates duly signed by the Kulpati at their addresses. The Registrar shall notify the suspension of the convocation and invite applications from the candidates who desire to take the degree and shall fix the last date for receipt of such applications. The degrees will be sent to those candidates who have applied for obtaining the degrees on payment of a fee of Rs.5/- plus postal charges i.e. Rs.3/-. The candidates who do not apply within due date for obtaining degrees shall be given degrees as in the case of absentia and the fee fixed for degrees in absentia shall be charged. The dates on such degrees shall be the date fixed by the Kulpati on the recommendation of the Standing Committee of the Academic Council.

Sahu/24577



15

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3512 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11 / 05 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शुक्रवार, दिनांक 08.05.2015 अपरान्ह 4.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव
10.	डॉ. ए.के. पति	–	विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-


01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन क्र. 134 में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के **API Score Calculator** में रेगुलेशन 2009 के स्थान पर भारत शासन के राजपत्र दिनांक 13 जून 2013 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेगुलेशन 2013 को अंगीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

02. रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस (**Inclusion of Grade and credit points (CGPA) in marksheet of the students of PG courses under the Ordinance 149-I**) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3513 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11 / 05 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2013

No. F. 1-2/2009(EC/PS) V(i) Vol-II.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following amendment Regulations, namely :—

1. Short title, application and commencement:

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2013.

1.2. They shall come into force with immediate effect from their publication in the Official Gazette.

2. The clause 6.1.0 of the Annexure of University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010 (hereinafter to be called 'The Principal Regulations') shall stand amended and be substituted by the following clause:-

"6.1.0 'The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on weightages given to the performance of the candidate in different relevant dimensions and his/her performance on a scoring system proforma, based on the Academic Performance Indicators (API) as provided in this Regulations in Tables I to IX of Appendix III.

3260 9/13-5

Provided that API scores will be used for screening purpose only and will have no bearing on expert assessment of candidates in Direct Recruitment/ CAS

Provided also that the API score claim of each of the sub-categories in the Category III (Research and Publications and Academic Contributions) will have the following cap to calculate the total API score claim for Direct Recruitment / CAS

Sub-Category	Cap as % of API cumulative score in application
III (A) : Research papers (Journals, etc)	30%
III (B) Research publications (Books, etc)	25%
III (C) Research Projects	20%
III (D) Research Guidance	10%
III (E) Training Courses and Conference /Seminar, etc	15%

In order to make the system more credible, universities may assess the ability for teaching and/or research aptitude through a seminar or lecture in a class room situation or discussion on the capacity to use latest technology in teaching and research at the interview stage. These procedures can be followed for both direct recruitment and CAS promotions wherever selection committees are prescribed in these Regulations."

3. The clause 6.0.2 of the Principal Regulations shall stand amended and be substituted by the following clause:-

"6.0.2 The Universities shall adopt these Regulations for selection committees and selection procedures through their respective statutory bodies incorporating the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) at the institutional level for University Departments and their Constituent colleges/ affiliated colleges (Government/Government-aided/Autonomous/ Private Colleges) to be followed transparently in all the selection processes. An indicative PBAS template proforma for direct recruitment and for Career Advancement Schemes (CAS) based on API based PBAS is annexed in Appendix III. The universities may adopt the template proforma or may devise their own self-assessment cum performance appraisal forms for teachers. While adopting this, universities shall not change any of the categories or scores of the API given in Appendix-III. The universities can, if they wish so, increase the minimum required score or devise appropriate additional criteria for screening of candidates at any level of recruitment."

4. The clause 7.3.0 of the Principal Regulations shall stand amended and be substituted by the following clause:-

7.3.0. VICE CHANCELLOR:

- i. Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization.
- ii. The selection of Vice Chancellor should be through proper identification of a panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or nomination or a talent search process or in combination. The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the university concerned or its colleges. While preparing the panel, the Search Committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance to be given in writing along with the panel to be submitted to the Visitor/ Chancellor. The constitution of the Search Committee could be as per the Act/ Statutes of the concerned university.
- iii. The Visitor/ Chancellor shall appoint the Vice Chancellor out of the Panel of names recommended by the Search Committee.
- iv. The conditions of services of the Vice Chancellor shall be as prescribed in the Act/ Statutes of the university concerned in conformity with the Principal Regulations.
- v. The term of office of the Vice Chancellor shall form part of the service period of the incumbent concerned making him/her eligible for all service related benefits."

5. The Table I [Category I, II & III] of Appendix-III of the Principal Regulations shall stand amended and be substituted by Table I [Category I, II & III] appended to these amendment Regulations.

AKHILESH GUPTA, Secy., UGC

[ADVT. III/4/Exty./113/13]

AMENDED APPENDIX – III TABLE – I

PROPOSED SCORES FOR ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (APIs) IN RECRUITMENTS AND CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF UNIVERSITY / COLLEGE TEACHERS.

Category I: Teaching, LEARNING AND EVALUATION Related ACTIVITIES

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; (b) domain knowledge; (c) participation in examination and evaluation; (d) contribution to innovative teaching, new courses etc. The minimum API score required by teachers from this category is 75. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria wherever possible and will be finalized by the screening/selection committee. Universities will be required to detail the activities and in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this category.

S. No.	Nature of Activity	Maximum Score
1	Lectures, seminars, tutorials, practicals, contact hours undertaken taken as percentage of lectures allocated	50
2	Lectures or other teaching duties in excess of the UGC norms	10
3	Preparation and Imparting of knowledge / instruction as per curriculum; syllabus enrichment by providing additional resources to students	20
4	Use of participatory and innovative teaching-learning methodologies; updating of subject content, course improvement etc.	20
5	Examination duties (Invigilation; question paper setting, evaluation/assessment of answer scripts) as per allotment.	25
	Total Score	125
	Minimum API Score Required	75

Note: a: Lectures and tutorials allocation to add up to the UGC norm for particular category of teacher. University may prescribe minimum cut-off (net of due leave), say 80 %, for 1 and 5 above, below which no scores may be assigned in these sub-categories.

Note 2 :

The model table proposes API scores and the mode for awarding these scores for various parameters of Category I of PBAS.

1. Wherever the unit of assessment is the number of hours, the teacher is required to compute the total number of hours allocated as per the time-table or the actual number of hours spent in that activity in the previous academic year. The institution can verify these from the official Time Table and the record of students' attendance.
2. In calculating the number of hours allocated, only working days/weeks will be taken into account. For example, if a teacher has been assigned 20 hours of classroom teaching per week in an institution that teaches for 16 weeks per semester, the teacher would write 320 hours (plus another 320 hours if his/her teaching load is the same in the second semester) in the row 1A(i). Since this is 2 hours higher than the UGC norm, s/he would claim additional 2 x 16 hours in row 1A (ii). If s/he has actually taught for 275 hours in that semester, s/he would claim 275 hours in row 1A (iii). So, in all, she would get credit for $320+32+275 = 627$ hours for that semester. S/he would do similar calculation for the second semester and the total would be entered in each row.
3. In most sub-categories, the total score of a teacher may exceed the maximum score permitted against the relevant sub-total. In that case, the score of the teacher will be credited the maximum score. For example, a teacher who marks 900 scripts can get credit for 300 hours and may have spent another 40 hours on examination duty. This adds up to 340 hours = 34 points. But s/he will be awarded the maximum of 20 points in that category.
4. Wherever the criterion involves an assessment by the screening committee, the teacher will be required to submit some evidence of work done. Each institution may further develop these criteria and specify the requirements for the various categories mentioned here.
5. Under 4c, the teacher is only required to give a proof that s/he administered an anonymous feedback questionnaire wherein the students can give their assessment of the quality of his/her teaching. S/he would be entitled to the points irrespective of the content of the feedback. The comments given by the students may not be used against the teacher in this exercise.

Category	Nature of activity	Notes	Unit of assessment	Score
Category I	TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES			
1A (i)	Classroom teaching (including lectures, seminar)	As per allocation	Hours per academic year	
1A (ii)	Classroom teaching (including lectures, seminar) in excess of UGC	As per	Hours per	

3260 4613-6

1A (iii)	Classroom teaching (including lectures, seminar) preparation time	Same as actual teaching hours as per attendance register	Hours per academic year
1B	Tutorials and Practicals	Actuals as per attendance register	Hours per academic year
1C	Outside classroom interaction with students	Max 0.5 of hours in 1A	Hours per academic year
	Sub-total 1	Score = hours/10 (max score 100)	
2	Research Supervision (including Masters thesis)	Max 1 hour per student per working week	Hours per academic year
	Sub-total 2	Score = hours/10 (Max score = 30)	
3A	Question paper setting, moderation and related work	Actual hours	Hours per academic year
3B	Invigilation/supervision and related examination duties	Actual hours	Hours per academic year
3C	Evaluation/assessment of answer scripts and assignments related to internal assessment, external and re evaluation	Max 20 minutes per full script	Hours per academic year
	Sub-total 3	Score = hours/10 (Max score = 20)	

4A	Teaching innovation including preparation of innovative course, use of innovative methodologies for teaching including bilingual/multi-lingual teaching	Evidence to be provided. Scores to be finalized by the screening committee	Outstanding = 10 Very good = 7 Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
4B	Preparation of new teaching-learning material including translation, bridge material, study pack or similar additional resource for students	Evidence to be provided. Scores to be finalized by the screening committee	Outstanding = 10 Very good = 7 Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
4C	Use of anonymous students' feedback on the quality of classroom teaching and students' interaction	Performance and summary feedback to be attached	2 points per course (max 10 points)	

Minimum score required for promotion: 150 out of a total of 250 from category I and II, at least 100 (from Maximum of 180) from category I and 20 (from maximum of 70) from category II.

AMENDED Category II: Co-curricular, EXTENSION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT RELATED ACTIVITIES

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is 15. A list of items and proposed scores is given below. It will be noticed that all teachers can earn scores from a number of items, whereas some activities will be carried out only by one or a few teachers. The list of activities is broad enough for the minimum API score required (15) in this category to accrue to all teachers. As before, the self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this category.

S. No.	Nature of Activity	Maximum Score
1	Student related co-curricular, extension and field based activities (such as extension work through NSS/NCC and other channels, cultural activities, subject related events, advisement and counseling)	20
2	Contribution to Corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities.	15
3	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term, training courses, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below)	15
	Minimum API Score Required	15

Note :

The model table proposes API scores and the mode for awarding these scores for various parameters of Category II of PBAS.

1. Wherever the unit of assessment is the number of hours, the teacher is required to compute the total number of hours allocated as per the time-table or the actual number of hours spent in that activity in the previous academic year. The institution can verify these from the official Time Table and the record of students' attendance.

2. In calculating the number of hours allocated, only working days/weeks will be taken into account. For example, if a teacher has been assigned 20 hours of classroom teaching per week in an institution that teaches for 16 weeks per semester, the teacher would write 320 hours (plus another 320 hours if his/her teaching load is the same in the second semester) in the row 1A(i). Since this is 2 hours higher than the UGC norm, s/he would claim additional 2 x 16 hours in row 1A (ii). If s/he has actually taught for 275 hours in that semester, s/he would claim 275 hours in row 1A (iii). So, in all, s/he would get credit for 320+32+275 = 627 hours for that semester. S/he would do similar calculation for the second semester and the total would be entered in each row.
3. In most sub-categories, the total score of a teacher may exceed the maximum score permitted against the relevant sub-total. In that case, the score of the teacher will be credited the maximum score. For example, a teacher who marks 900 scripts can get credit for 300 hours and may have spent another 40 hours on examination duty. This adds up to 340 hours = 34 points. But s/he will be awarded the maximum of 20 points in that category.
4. Wherever the criterion involves an assessment by the screening committee, the teacher will be required to submit some evidence of work done. Each institution may further develop these criteria and specify the requirements for the various categories mentioned here.
5. Under 4c, the teacher is only required to give a proof that s/he administered an anonymous feedback questionnaire wherein the students can give their assessment of the quality of her teaching. S/he would be entitled to the points irrespective of the content of the feedback. The comments given by the students may not be used against the teacher in this exercise.

Category	Nature of activity	Notes	Unit of assessment	Score
Category II	CO-CURRICULAR, EXTENSION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT RELATED ACTIVITIES			
5A	Discipline related co-curricular activities (e.g. field work, study visit, student seminar, events, career counseling etc)	Evidence to be provided. Scores to be finalized by the screening committee	Outstanding = 10 Very good = 7 Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
5B	Other co-curricular activities (Cultural,	Evidence to be provided.	Outstanding = 10 Very good = 7	

3260 G/113-B

	Sports, NSS, NCC etc)	Scores to be finalized by the screening committee	Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
5C	Extension and dissemination activities (public lectures, talks, seminars, popular writings not covered under III)	Evidence to be provided. Scores to be finalized by the screening committee	Outstanding = 10 Very good = 7 Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
	Sub-total 5			
6A	Administrative responsibility (including Dean, Principal, Chairperson, Convenor, Teacher-in-charge or similar duties that require regular office hours for its discharge)	Actual hours spent	Hours per academic year	
6B	Participation in Board of Studies, Academic and Administrative Committees	Actual hours spent	Hours per academic year	
	Sub-total 6	Score = hours/10 (Max score = 30)		
7	Overall contribution to the collective/corporate life of the institution (including 5, 6 and any other contribution)	Evidence to be provided. Scores to be finalized by the screening committee	Outstanding = 10 Very good = 7 Good = 5 Average = 3 Modest = 1	
	GRAND TOTAL (1 TO 7)	(OUT OF 250)		

Minimum score required for promotion: 150 out of a total of 250 from category I and II, at least 100 (from Maximum of 180) from category I and 20 (from maximum of 70) from category II.

AMENDED CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion and between university and colleges. The self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

S No.	APIs	Engineering/Agriculture/ Veterinary Science/Sciences/Medical Sciences	Faculties of Languages Arts/Humanities/Social Sciences/Library/ Physical education/Management	Max. points for University and college teacher position
III A	Research Papers published in:	Refereed Journals *	Refereed Journals*	15 / publication
		Non-refereed but recognized and reputable journals and periodicals, having ISBN/ISSN numbers.	Non-refereed but recognized and reputable journals and periodicals, having ISBN/ISSN numbers.	10 / Publication
		Conference proceedings as full papers, etc. (Abstracts not to be included)	Conference proceedings as full papers, etc. (Abstracts not to be included)	10/ publication
III (B)	Research Publications (books, = chapters in books, other than refereed journal articles)	Text or Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system	Text or Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system	50 /sole author; 10 /chapter in an edited book
		Subjects Books by National level publishers/State and Central Govt. Publications with ISBN/ISSN numbers.	Subject Books by / national level publishers/State and Central Govt. Publications with ISBN/ISSN numbers.	25 /sole author, and 5/ chapter in edited books
		Subject Books by Other local publishers with ISBN/ISSN numbers.	Subject Books by Other local publishers with ISBN/ISSN numbers.	15 / sole author, and 3 / chapter in edited books
		Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by International Publishers	Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by International Publishers	10 /Chapter

3260 9/13-8

		Chapters in knowledge based volumes by Indian/National level publishers with ISBN/ISSN numbers and with numbers of national and international directories	Chapters in knowledge based volumes in Indian/National level publishers with ISBN/ISSN numbers and with numbers of national and international directories	5 / Chapter	III(E)
III (C)	RESEARCH PROJECTS				III(E)
III (C) (i)	Sponsored Projects carried out/ ongoing	(a) Major Projects amount mobilized with grants above 30.0 lakhs	Major Projects amount mobilized with grants above 5.0 lakhs	20 /each Project	III(E) (i)
		(b) Major Projects amount mobilized with grants above 5.0 lakhs up to 30.00 lakhs	Major Projects Amount mobilized with minimum of Rs. 3.00 lakhs up to Rs. 5.00 lakhs	15 /each Project	
		(c) Minor Projects (Amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to Rs. 5 lakh)	Minor Projects (Amount mobilized with grants above Rs. 25,000 up to Rs. 3 lakh)	10/each Project	
III (C) (ii)	Consultancy Projects carried out / ongoing	Amount mobilized with minimum of Rs.10.00 lakh	Amount mobilized with minimum of Rs.2.0 lakhs	10 per every Rs. 10.0 lakhs and Rs.2.0 lakhs, respectively	
III (C) (iii)	Completed projects : Quality Evaluation	Completed project Report (Acceptance from funding agency)	Completed project report (Accepted by funding agency)	20 /each major project and 10 / each minor project	
III (C) (iv)	Projects Outcome / Outputs	Patent/Technology transfer/ Product/Process	Major Policy document of Govt. Bodies at Central and State level	30 / each national level output or patent /50 /each for International level.	
III (D)	RESEARCH GUIDANCE				
III (D) (i)	M.Phil.	Degree awarded only	Degree awarded only	3 /each candidate	
III (D) (ii)	Ph.D	Degree awarded	Degree awarded	10 /each candidate	
		Thesis submitted	Thesis submitted	7 /each candidate	

III(E)	TRAINING COURSES AND CONFERENCE /SEMINAR/WORKSHOP PAPERS			
III(E) (i)	Refresher courses, Methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes, Faculty Development Programmes (Max: 30 points)	(a) Not less than two weeks duration	(a) Not less than two weeks duration	20/each
		(b) One week duration	(b) One week duration	10/each
III(E) (ii)	Papers in Conferences/ Seminars/ workshops etc.**	Participation and Presentation of research papers (oral/poster) in	Participation and Presentation of research papers (oral/poster) in	
		a) International conference	a) International conference	10 each
		b) National	b) National	7.5 / each
		c) Regional/State level	c) Regional/State level	5 / each
		d) Local – University/College level	d) Local – University/College level	3 / each
III(E) (iv)	Invited lectures or presentations for conferences/ / symposia	(a) International	(a) International	10 /each
		(b) National level	(b) National level	5

*Wherever relevant to any specific discipline, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) indexed journals – by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 25 points.

** If a paper presented in Conference/Seminar is published in the form of Proceedings, the points would accrue for the publication (III (a)) and not under presentation (III (e)(ii)).

Notes.

1. It is incumbent on the Coordination Committee proposed in these Regulations and the University to prepare and publicize within six months subject-wise lists of journals, periodicals and publishers under categories IIIA and B. Till such time, screening/selection committees will assess and verify the categorization and scores of publications.
2. The API for joint publications will have to be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned

teacher, the first/Principal author and the corresponding author/supervisor/mentor of the teacher would share equally 60% of the total points and the remaining 40% would be shared equally by all other authors.

3. The parameters listed in table of category-III (Research and Academic contributions) shall have following capping in relation to the total API score claimed by the candidates:-

• III (A) : Research papers (Journals, etc)	30%
• III (B) : Research publications (Books, etc)	25%
• III (C) : Research Projects	20%
• III (D) : Research Guidance	10%
• III (E) : Training Courses and Conf/Seminar, etc	15%

-0-

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य का देयक राशि रू. 08,53,331=50 मे0 ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा0लि0 इंदौर को भुगतान की स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2015 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु मे0 ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा0लि0 इंदौर एवं कुलसचिव के मध्य दि0 19.11.15 को अनुबंध हुआ। उक्त अनुबंध के अनुसार वार्षिक परीक्षा 2015 के लिए Online Submission of Exam Form, payment through online and payment gateway for Pre examination work (Online Basis) कार्य के लिए रू0 03.00 प्रति छात्र स्वीकृत किया गया है ।

संबंधित फर्म द्वारा 2,53,154 छात्रों के परीक्षा फार्म ऑनलाइन द्वारा भराये जाने के कार्य संपादित करने के पश्चात् देयक क्र0 ODP/KKK/2014-15/380 Dt. 18.03.2015 के माध्यम से रू0 08,53,331=50 भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । छात्रों से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराये जाने के समय हुई समस्याओं के लिए आपको पत्र प्रेषित किया गया । प्राप्त देयक को परीक्षा विभाग द्वारा छात्र संख्या का सत्यापन करने के पश्चात् रू0 08,53,331=51 (अक्षरी रू0 आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) भुगतान करने के योग्य पाया गया ।

अतः संबंधित फर्म को 2,53,154 छात्रों के परीक्षा फार्म ऑनलाइन द्वारा भराये जाने के कार्य का देयक राशि रू. 08,53,331=51 (अक्षरी रू0 आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत ।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

ई मेल- registrarprsu@gmail.com , फोन नं.- 0771-2262540 ,



क्रमांक / 360-A / कु.स. / 2014

रायपुर, दिनांक 23/12/2014

प्रति,

संचालक,

ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्रा. लि.,

60, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स,

परदेशीपुरा, इन्दौर (म. प्र.), 452010

विषय:- विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2014-15 के लिये ऑनलाईन आवेदन करने पर हो रही व्यापक त्रुटियों के कारण छात्र असंतोष एवं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होने बाबत।

विषयानुसार जैसा कि विदित है कि वर्ष 2014-15 की वार्षिक परीक्षा के आवेदन हेतु आपकी फर्म को अधिकृति किया गया था किंतु अत्यंत दुख व खेद के साथ लेख है कि आपके द्वारा उक्त कार्य का संपादन बेहद गैरजिम्मेदाराना तरीक से किया जा रहा है।

आपको बारंबर सूचित किये जाने के बावजूद कुछ समस्याये जैसे एक ही छात्र के कई रिकॉर्ड्स नंबर निकलना पेज का न खुलना, सर्वर डाउन रहना, पेमेंट अकाउंट से कट जाने पर भी प्रिंट का नहीं निकलना, किसी कक्षा का फार्म भरने पर अन्य कक्षा का फार्म निकलना, फोटो अपलोड न होना, इन्रोलमेंट नम्बर में किसी और का फोटो व हस्ताक्षर मिलने पर नाम किसी अन्य का होना पाठ्यक्रमों का अपलोड न किये जाना जैसी अन्य सैकड़ों समस्याएँ हैं जिसके लिये प्रायः प्रत्येक दिन में कई बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद आपके द्वारा सुधार नहीं किया जाना केवल कोरे आश्वासन दिया जाना अत्यंत शोचनीय है।

संभवतः विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आपके गैर जिम्मेदारी भरे कार्य के कारण आवेदन तिथि में बारबार परिवर्तन करना पड़ रहा है। जिससे छात्र असंतोष एवं अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। प्रायः प्रत्येक दिन सामाचार पत्रों में भी विश्वविद्यालय की ऑनलाईन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया पर सवाल उठाये जा रहे हैं। राजभवन द्वारा भी इस संबंध में जवाब-तलब किया जा रहा है। प्रत्येक छात्रों की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के आश्वासन दिये जाने के बावजूद छात्रों का विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास एवं अध्ययन के प्रति रुझान कम हो रहा है तथा निर्धारित अवधि में परीक्षा संपादित किये जाने में विलंब होने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन प्रक्रिया छात्रों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यसे चालू की गई किंतु इसका प्रभाव विपरीत हो रहा है।

उदाहरण स्वरूप एक छात्र द्वारा माननीय कुलपति को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है।

आपको अंतिम बार चेतावनी दिया जाता है, इन सभी समस्याओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र, अविलंब हर सम्भव प्रयास कर व्यवस्था को दुरुस्थ करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमाधीन कार्यवाही किये जाने बाध्य होगा।

कुलसचिव

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रू. 17,99,206=64 मे० ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा०लि० इंदौर को भुगतान की स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2015 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु मे० ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा०लि० इंदौर एवं कुलसचिव के मध्य दि० 19.11.15 को अनुबंध हुआ । उक्त अनुबंध के अनुसार वार्षिक परीक्षा 2015 के लिए डाटा प्रोसेसिंग (Online Basis) का कार्य रू० 06.25 प्रति छात्र स्वीकृत किया गया है ।

संबंधित फर्म द्वारा परीक्षा पूर्व कार्य संपादित करने के पश्चात् देयक क्र० ODP/KKK/2014-15/379 Dt. 18.03.2015 के माध्यम से रू० 17,99,206=64 भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । प्राप्त देयक को परीक्षा विभाग द्वारा छात्र संख्या का सत्यापन करने के पश्चात् रू० 17,99,206=64 (अक्षरी रू० सत्रह लाख निन्यान्बे हजार दो सौ छैः मात्र) भुगतान करने के योग्य पाया गया ।

अतः संबंधित फर्म को परीक्षा पूर्व किये गए कार्य का देयक राशि रू. 17,99,206=64 (अक्षरी रू० सत्रह लाख निन्यान्बे हजार दो सौ छैः मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत ।

7-5-15



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन टीप

विषय : शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।

टीप : विनियम - 107 की कंडिका - 5 के अनुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 22.04.2015 में विचार किया गया। शोध उपाधि समिति द्वारा शोध केन्द्र की मान्यता हेतु अनुशंसा की गई है। विनियम - 107 की कंडिका - 8 के प्रावधानानुसार कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अन्य प्रासंगिक एवं व्यय की जानकारी कुल राशि:

25,000/-

(फ) उक्त व्यय की व्यवस्था के लिए आय के स्रोतों की जानकारी

राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध एवं स्वीकृत

(त) यदि महाविद्यालयों में पूर्व में पाठ्यक्रम संचालित थे, तो तीन वर्ष के पाठ्यक्रमवार परीक्षाफल/प्रतिशत

संलग्न

6. प्रस्तावित विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम है अथवा सामान्य ?

सामान्य पाठ्यक्रम

7. शोध केन्द्र संचालन के लिए विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता के संबंध में निरीक्षण समिति की टीप -

आज दिनांक 19/11/2014 को वाणिज्य विषय में शोध-केन्द्र की मान्यता हेतु निरीक्षण समिति के सदस्य एवं विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण किया गया। विश्वविद्यालय के Revised Regulation No. 107 के बिन्दु क्रमांक 03 के a, b, c, d, F, G महाविद्यालय द्वारा करवा है। निरीक्षण समिति वाणिज्य विषय में शोध-केन्द्र की अनुमति करती है।

निरीक्षकों के हस्ताक्षर - पूरा नाम एवं पता

1. डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर
अध्यक्ष, वाणिज्य अध्ययन मंडल एवं वाणिज्य संकाय प्राध्यापक, शासक महावि. भाटापारा

2. डॉ. एम. आइ. मुमता
प्राचार्य, शासक महाविद्यालय, बलोद जिला-दुर्ग (द.ग.)

3. डॉ. शं. के. श्रीवास्तव
अध्यक्ष, प्रबंध संकाय एवं प्रबंध संस्थान, पं. शशिभर-धुन्ध विश्वविद्यालय, रायपुर

92



|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 के कार्यवृत्त (विषय क्रमांक 14 में Revised Regulation No. 107, [Recognition of the Research Centers]) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2013 के विषय सूची क्रमांक 4 में अनुमोदन हुआ है, जो निम्नांकित है -

Revised Regulation No. 107
(E.C. Under 23-04-2013)
[Recognition of the Research Centers]

The regulation is meant for the recognition of the research centre. The Institution/College who desires to have a research centre should essentially fulfill the following criteria:

1. The Principal of the affiliated College or the Head of the institution have to apply in the prescribed format to the University for the Recognition of a research centre in the concerned subject.
2. The application for the recognition of a research center can be made round the year with an affiliation fee prescribed by the University from time to time. The annual fee for the research centre will be levied as specified by the University.
3. Only Colleges qualifying the following criteria can apply for recognition of a research centre in a subject:
 - a. The College is accredited by the National Assessment and Accredited Council (NAAC). The existing Colleges with research Centers should get NAAC accreditation in order to continue the research centre in the subjects.
 - b. The College is running the Post Graduate course in the subject since last 5 years and has acquired permanent affiliation from the University.
 - c. The faculty strength in the subject in which recognition is sought is not less than five with at least one Professor and a minimum of two faculty possessing Ph. D. degree in the concerned subject.
 - d. The College has a well equipped library and adequate number of books in the subject for research and with subscription of five Indian and at least two International Journals (with ISSN number) in the concerned subject since last three years.
 - e. In case of research centre in the science subject, an adequate space in the form of laboratory is mandatory. The Laboratory should be well equipped with all basic research instruments in working order. Besides, it should also have specific research equipments.
 - f. A minimum of three computer sets with internet facility in the department is essential for the research students.
 - g. The Principal/ Institutional Head of the recognized research centre will maintain a proper record of the attendance of all the research scholars registered at the centre and would authenticate and forward the same regularly with six monthly progress report to the University.
4. Nationally recognized Institutions will not be required to apply separately for recognition for a research centre. They need to have a formal approval from the Research Degree Committee of the concerned subject of the University by making a formal request.

5. A Committee of the following will inspect the College/Institution on receipt of the application for recognition of a research centre. The expenditure on inspection will be borne by the applicant institution:
 - (a) Dean (from the relevant Faculty)
 - (b) Chairman, Board of Studies of the Concerned Subject
 - (c) a subject Expert not less than University Professor/ College Professor in the rank, nominated by the Vice-Chancellor
6. The three member Committee would inspect the applicant institution/College for the facilities/eligibility with number of seats and submit its report with the recommendation within a fortnight from the date of inspection to the Registrar of the University based on the criterion as laid down earlier at para 3.
7. The report of the Committee will be presented at the RDC of the concerned subject for approval.
8. After the approval from RDC, the matter would be placed in Executive Council for recognition of the Research Centre, and if approved by the EC, the research Centre recognition would be granted to the College/Institution.
9. The recognized Research Centre shall be entitled to collect the prescribed fees from the research Scholars enrolled at its centre as laid down in the Ph. D. Ordinance of the University.
10. Recognized research centers will ensure all the basic facilities to the research Scholars registered at their Centers.
11. In case of any complaint against the research centre, the University will review the recognition status of the research centre and if found true the recognition will be withdrawn with immediate effect.
12. Every research centre will provide the details of the enrolled students annually to the University at the end of academic year or whenever asked.
13. In case no student is registered at a recognized research Centre in last five years, the recognition will be withdrawn and such centers have to apply afresh for recognition.
14. The university will review every five year the facilities at each recognized research center and if not found up to the mark, the recognition will be withdrawn from such centers.
15. Those institution that were denied recognition earlier has to apply afresh as per the revised regulation for recognition of the research center.
16. In case the guide(s) at a recognized research Centre superannuate(s) or is/ are transferred from the research Centre, it shall be the duty of the Principal/ Head of the Institution to maintain the record of the attendance of the research scholar working at the research Centre and provide it to the University whenever needed.

Prescribed Format for the Recognition of a Research Centre

1. Name of the College/Institution:
2. Website of the College:
3. Date of Establishment:
4. Date of NAAC accreditation and Grade:
5. Status of the College: Government/ Autonomous/ Private
6. Whether the College is receiving Grant from UGC/ State Government or not?
7. Details of PG Courses in the College and year of start:
8. Total number of students in PG Classes/ Teachers Subject-wise:
9. Subject, for which recognition is sought and year of start of PG Classes:
10. Number of students enrolled in the PG Class in the subject in last three years (year-wise):

11. Total Faculty members/ Officers in the College:
12. Number of Recognized Guide in the College subject-wise:
(Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
13. Name of Recognized Guide in the subject where recognition is requested:
(Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
14. Library facility (Append list of Books/ Journals):
15. Number of Books/ Journals in the concerned Subject (Append list):
16. Laboratory facility (Number/ Area):
17. List of Equipment in the Laboratory:
18. Computer/Internet facility:
19. Details of Recognition Fees Paid:
20. Any other Relevant Information:

Based on the above information, we apply for recognition of research Centre in and assures the University that in case the recognition is granted to the College, we will abide by the rules and regulations as laid by the University.

Signature of the Principal/ Head/ Director

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,




कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 10391 / अका. / 2013
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 4/05/2013

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)

2/2

Bachelor of Vocation (B.Voc.) Programme
under the
National Skills Qualifications Framework (NSQF)

1. Introduction

Pt. Ravishankar Shukla University hereby introduces Bachelor of Vocation (B.Voc.) programme to incorporate the requirements of various industries in its curriculum. This initiative will enable to support the needs of the economy, in terms of graduates with adequate subject knowledge and skills for employment and entrepreneurship.

2. Objectives

The objectives of the Bachelor of Vocation (B.Voc.) Programme under the National Skills Qualifications Framework (NSQF) are:

- 2.1 to provide judicious mix of skills relating to a profession and appropriate content of General Education;
- 2.2 to ensure that the students have adequate knowledge and skills, so that they are work ready at each exit point of the programme;
- 2.3 to provide flexibility to the students by means of pre-defined entry and multiple exit points;
- 2.4 to integrate NSQF within the undergraduate level of higher education in order to enhance employability of the graduates and meet industry requirements;
- 2.5 to provide vertical mobility to students coming out of 10+2 with vocational subjects.

3. Level of Awards

The certification levels will lead to Diploma/ Advanced Diploma/ B. Voc. Degree in the vocational areas that are offered under the aegis of the Pt. Ravishankar Shukla University, as follows:

Award	Duration	Corresponding NSQF Level
Diploma	One Year (2 Semester)	5
Advanced Diploma	Two Years (4 Semester)	6
B. Voc. Degree	Three Years (6 Semester)	7

Each of the awards shall specify, within parenthesis, the Skill specialisation; for example:

- Diploma (Gem Identification & Diamond Grading)
- Advanced Diploma (Gem Cutting & Polishing and Jewellery Designing)
- B. Voc. (Gem & Jewellery Industry Professional)

Minat

Ravishankar

Adyaple

Manish Kumar Patil

[Signature]

4. Eligibility for admission in B. Voc.

(2) ✓

The eligibility condition for admission to B. Voc. Programme is as follows:

- 4.1 Student must have cleared 10+2 examination or equivalent, in any stream;
- 4.2 The proposed centre will prepare a merit list, on the basis of overall percentage of marks, for the offered course(s) respectively;
- 4.3 The reservation rules as applicable in Chhattisgarh will be adhered to.

5. Curriculum

The curriculum in each of the years of the programme is a combination of *general education* and *skill development* components.

5.1 General Education Component:

- 5.1.1 The general education component adheres to the normal university standards. It emphasises and offers courses which provide holistic development. However, it does not exceed 40% of the total curriculum;
- 5.1.2 Adequate emphasis is given to language and communication skills.

5.2 Skill Development Components:

- 5.2.1 The focus of skill development component is to equip students with appropriate knowledge, practice and attitude, so as to become work ready. The skill development components is relevant to the industries as per their requirements;
- 5.2.2 The curriculum should necessarily embed within itself, National Occupational Standards (NOSs) of specific job roles within the industry sector(s). This would enable the students to meet the learning outcomes specified in the NOSs;
- 5.2.3 The overall design of the skill development component along with the job roles selected should be such that it leads to a comprehensive specialisation in the proposed domain;
- 5.2.4 In case NOS is not available for a specific area/ job role, the University will get the curriculum developed for this in consultation with industry experts;
- 5.2.5 The curriculum should focus on work-readiness skills in each of the three years;
- 5.2.6 Adequate attention needs to be given in curriculum design to practical work, on the job training, development of student portfolios and project work.

6. Credit Calculations

6.1 The following formulae will be used for conversion of time into credit hours;

- a) One credit will mean equivalent of 15 periods of 60 minutes each, for theory, workshop, laboratory and tutorials;
- b) For internship/Training/field-work, the credit weightage for equivalent hours will be 50% of that for lectures/workshop;
- c) For self-learning, based on e-content or otherwise, the credit weightage for equivalent hours of study will be 50% or less of that for lectures/ workshop.

6.2 The credits awarded for each of the years are as follows:

Almad

Prayash

Adyape

Manish Kumar Patil

Ua

Year	Skill Component Credits	General Education Credits	Normal Calendar Duration	Cumulative Semesters	Exit Award
Year 1	36	24	Two Semester	2	Diploma
Year 2	36	24	Two Semester	4	Advanced Diploma
Year 3	36	24	Two Semester	6	B.Voc. Degree
Total	108	72			

- 6.3 For any B.Voc. Course proposed by the university/college, the curriculum will be developed in consultation with respective industry. The industry representatives should be an integral part of the academic bodies of the university/college. While doing so, they should work towards aligning the skills components of the curriculum with the NOSs developed by the respective Sector Skill Councils.
- 6.4 The practical/hands-on portion of the skills development components of the curriculum should be transacted normally in face to face mode, either within the institution or at the location of a specified industry partner. The emphasis should be on learning outcome and not the input and processes. The general education component of the curriculum may be transacted in any mode without compromising on quality.

7. Examination and Assessment

7.1 The University will conduct examination at the end of each Semester for details relevant Regulation may be referred.

Mirad

Rajkumar

adhyapak

Mani Kumar Patil

[Signature]






Draft Regulations
Bachelor of Vocation (B.Voc.) Programme
under the
National Skills Qualifications Framework (NSQF)

1. The specialization chosen by the university/college will be based on the existing/forecasted skill gaps in the industry.
2. Monitoring, evaluation and updating of the curriculum needs to be done periodically in consultation with industry, keeping in view of their requirements and changes in NOSs. The university/college must incorporate this as a continuous and dynamic process in-built in their system through an Advisory Committee for Vocational Course. The composition of the Advisory Committee for Vocational Course is given below. A minimum of 05 members will form the quorum.

1.	Vice-Chancellor/ Principal	Chairperson
2.	One Expert in the relevant field nominated by the Vice-Chancellor	Members
3.	One Academician in the relevant field nominated by the Vice-Chancellor/ Principal	Members
4.	Nominee from State Higher Education	Member
5.	One Representative of industries relevant to Specialisation*	Member
6.	One UGC Nominee	Member
7.	In-charge of the respective B.Voc. Programme	Member-Secretary

* Industry representatives will be nominated by the Zonal/ State/ Regional Heads of CI/ FICCI

3. To enable a candidate to appear in the university examination of any level, 85% attendance separately for subjects of General Education and Skill Development Component of the vocational course is required;
4. A shortfall in attendance upto 10% can be condoned by the Vice-Chancellor of Pt. Ravishankar Shukla University;
5. The assessment for the **General Education Component** will be carried out by Pt. Ravishankar Shukla University in the form of theory examination as per the scheme of examination for the prevailing vocational course;
6. The assessment for the **Skill Development Component** will focus on practical demonstrations of the skills acquired. The Coordinator of the designated course will be responsible for designing the practical examination curricula in consultation with respective Sector Skill Council/ Industry Associations. The University will consider inviting the designated assessors of Sector Skill Councils/ Industry Associations for the conduct of practical assessment;
7. For internal quality evaluation, either one class test or home assignment in each subject of the General Education Component of the vocational course will be conducted. Whereas, the

- Skill Development Component will be evaluated on actual job-work assigned to each candidate;
8. A candidate will be required to earn requisite credits in precedent level before being promoted to next higher level. However, the multi-level entry and exit system will allow the candidate to seek employment after completing respective level;
 9. If a candidate wishes to re-join the education to upgrade his/her qualification as per the respective vocational course, he/she has to seek fresh admission for the respective course and fulfil the desired needs of the course. The number of admission(s) will be based on the number of seats vacant. In case, if the number of candidate(s) is(are) more than the available seat(s), the admission will be based on the marks scored in Skill Development Component in the previous examination;
 10. There is no provision of improvement in Division/marks or any purpose.

Aliad

Dnyhan

adnpl

Atman Kumar Patil

10



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन टीप

विषय : विश्वविद्यालय के कैम्पस एरिया नेटवर्क में 200 I/O Node पर पूर्ण रूप से 1 Gbps Connectivity प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने एवं Installation के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कैम्पस में 200 I/O Node पर 1Gbps Connectivity प्रदान करने के लिए बी.एस.एन.एल. रायपुर के PO. No. CGMT/EB/NMEICT - LAN Pt. RSU/316/2014-15 Raipur dated 11 dec. 2014 एवं No. CGMT/CG/EB/NMEICT - LAN Pt. RSU/316/2014-15 Raipur dated 26 Dec. 2014 द्वारा मेसर्स Benzfab Technologies Pvt.Ltd. Bhubaneswar, Odisha को दिया गया है। M/S. Benzfab Technologies के द्वारा कार्य करने के दौरान पाया गया कि 200 I/O Node पर पूर्ण रूप से 1Gbps Connectivity प्रदान करने के लिए उक्त बी.एस.एन.एल. के PO. Order की सामग्री अपर्याप्त है। तदनुसार M/S. Benzfab Technologies ने पत्र क्र. btpl/rv/Pt rsu/71 dated 04 May 2015, के द्वारा बी.एस.एन.एल. से उक्त PO. Order के अनुसार निर्धारित दर पर 11 L₂ Switch, 11 Patch Pannel, 13 UTP Cable Box, 2500 mtr. Cable Cunduit, 5 Wall Mount Rack एवं Installation Commissioning, Tax सहित 9,26,086.00 रुपये (नौ लाख छब्बीस हजार छियासी रुपये) का प्रस्ताव दिया गया है।

बी.एस.एन.एल. रायपुर के पत्र क्र. CGMT/CG/EB/NMEICT-LAN/Pt. RSU/316/2014-15 Dated 12-03-2015 के अनुसार यदि विश्वविद्यालय चाहे तो अतिरिक्त कार्य सीधे कंपनी से लागू नियम एवं शर्तों के आधार पर बिना बी.एस.एन.एल. के सहभागिता के कार्य करा सकता है।

उक्त सामग्री क्रय करने एवं Installation के लिए के RSU-CAN Steering Committee, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रिय क्रय समिति की अनुशंसा की जा चुकी है।

विश्वविद्यालय के कैम्पस एरिया नेटवर्क में 200 I/O Node पर पूर्ण रूप से 1 Gbps Connectivity के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने एवं Installation के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Tele: 09203913506
Email: cgairncc@yahoo.co.in

Register
E.C. 17/1
CG
7/5/15

3 CG Air Sqn NCC
12, Agrasen Nagar
Raipur-492013

07 May 15

3AS/708/A/NCC

Vice Chancellor
Pt. Ravi Shankar Shukla University
Raipur (C G)

REQUEST FOR OFFICE ACCOMODATION

1. Please refer our ibid letter dated 10 Feb 15 on the same subject.
2. In the forthcoming months new educational session will be commencing and new enrolments to our unit will begin. It is requested that we may be permitted to establish our unit office under your university premises as early as possible so that this unit will be able to commence functioning properly before new students join as NCC cadets.
3. Awaiting your further instructions and thanking you in anticipation.


(R Mishra)
Wg Cdr
Commanding Officer

Tele 09203913506
Email cgairncc@yahoo.co.in

3 CG Air Sqn NCC
12, Agrasen Nagar
Raipur-492013


3AS/708/A/NCC

10 Feb 15

Vice Chancellor
Pt. Ravi Shankar Shukla University
Raipur (C.G.)

REQUEST FOR OFFICE ACCOMODATION

1. National Cadet Corps (NCC), one of the largest uniformed youth organizations in the world, is engaged in the noble cause of grooming the future leaders of our country. It is forever engaged in inculcating in the young minds the ideals of patriotism, selfless service, courage, leadership and the spirit of adventure. In these efforts of ours to meet new standards of human endeavour and quality various educational institutions extend whole hearted support.
2. No. 3 CG Air Sqn NCC, Raipur is the only Air Sqn NCC in Chhattisgarh. At present this unit is imparting NCC Training to approximately 700 cadets of the various schools/ Institutions. This squadron is shaping of the youth of this state to become competent, self disciplined and loyal citizen of the country and also to join Armed Forces and various organizations dedicatedly serving our country.
3. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur is Chhattisgarh's largest and oldest institution of higher education. Air Sqn NCC is privileged to have numerous students of this university enrolled as cadets. Both the establishments are working extensively and to some extent jointly to shape up the future of the state and finally the nation.
4. The Air Sqn NCC unit is presently operating from a rented house located in the residential area of Agrasen Nagar colony, Raipur. This office accommodation is far away from main city and does not have the basic infrastructure to create appropriate work environment or to impart desired training to the cadets effectively and efficiently. To improve the working environment a suitable location and accommodation is sought for. If this unit gets co-located in the university campus it will be able to position itself in nucleus of education in Chattisgarh. This will have a manifold effect on the motivation of students and more numbers of students are likely to join the noble cause of the 'Service of the Nation'.
5. Therefore it is requested that Air Sqn NCC may be permitted to shift within your campus and towards this a suitable office accommodation be allotted to the unit. This will surely help in a long way to improve the training standard of NCC cadets and motivate them to achieve the unanimous goal.


(R Mishra)
Wg Cdr
Commanding Officer

Copy to: NCC GP HQ, Raipur

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर-छत्तीसगढ़

Fix:ok

2263439

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731
ई-मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 2338 / स.पु. / उत्ख.सर्वे. / 2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 6 / 5 / 2015

निज सचिव
कुलपति,
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

Reelin
022
15/5

विषय:- धरोहर झरोखा विषयक।

संदर्भ:- आपका अर्धशासकीय पत्र क्र. 1879/के.एस./2014/ रायपुर दिनांक 11 दिसंबर 2014.
कार्यालयीन पत्र क्र. 5971/सं.पु./उत्ख.सर्वे./रायपुर दिनांक 29.01.2015

—0—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि विभाग द्वारा आपके विश्वविद्यालय में प्रस्तावित धरोहर झरोखा स्थापित करने के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभागीय उप अभियंता के साथ दिनांक 27.04.2015 को अपराहन प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला की विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेशनंदिनी परिहार के साथ समन्वय स्थापित कर अध्ययनशाला के भू-तल का निरीक्षण किया गया और उसे धरोहर झरोखा स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। कृपया इस संदर्भ में अवगत होना चाहेंगे कि विभाग द्वारा धरोहर झरोखा के अंतर्गत छ.ग. के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व से संबंधित विभिन्न आयामों को छायाचित्रों, प्रतिदर्शों एवं प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय कुलपति जी ध्यान स्थान उपलब्ध कराने की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, ताकि धरोहर झरोखा स्थापित करने का कार्य यथाशीघ्र संपन्न किया जा सके।

022
6.5.15

पुरातत्व अधिकारी
संस्कृति एवं पुरातत्व

रायपुर, दिनांक / / 2015

पृ.क्र. / स.पु. / उत्ख.सर्वे. / 2015
प्रतिलिपि:-

- 1.स्टेनो, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2.विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2847
13/5/15

पुरातत्व अधिकारी
संस्कृति एवं पुरातत्व